एनडीए II सरकार के 4+ वर्षों की नागरिक समीक्षा (2019-2023)

Promises & Reality

Coordinated by

Wada Na Todo Abhiyan

कार्यकारी सारांश

यह 'जनता का घोषणापत्र,' 'वादे और हकीकत: नागरिकों द्वारा एनडीए-II सरकार के चार साल से अधिक के कार्यकाल की समीक्षा' शीर्षक रिपोर्ट पर आधारित है। इसका मकसद शासन की स्थिति के बारे में नागरिकों के नजरिए को दर्ज करना और उसे प्रचारित करना है। साथ ही, हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है।

इस रिपोर्ट की जड़ें आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर स्थायी रूप से ध्यान केन्द्रित करने की हमारी आकांक्षा की मजबूती में निहित है। साथ ही, इसका विस्तार नागरिकों के लिए सिकुड़ते स्थान और विभिन्न क्षेत्रों व समुदायों में व्याप्त चुनौतियों की प्रकृति के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता और आजाद रहने की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों की स्थिति की समीक्षा करने तक भी किया गया है।

यह रिपोर्ट चार व्यापक विषयों - लोकतंत्र, विकास, शासन और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की स्थिति - पर आधारित है और इसका संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है।

लोकतंत्र की स्थिति

संसदीय प्रक्रियाओं की समीक्षा करने पर कई गंभीर चिंताएं उभरकर सामने आती हैं। मसलन बिना बहस के विधेयकों का जल्दबाजी में पारित किया जाना, संसदीय समितियों की सीमित संलग्नता, संसद की बैठक के दिनों में कमी, सीमित बजटीय विचार-विमर्श, सांसदों की सूचनाओं (डेटा) तक सीमित पहुंच और आपराधिक रिकॉर्ड वाले निर्वाचित सदस्यों की बढ़ती मौजूदगी आदि। भारतीय संसद के 2023 के मानसून सत्र में, 22 विधेयक पारित किए गए। इनमें से 20 विधेयकों पर एक घंटे से भी कम चर्चा हुई और महत्वपूर्ण विधेयकों सहित 9 विधेयक तो लोकसभा में 20 मिनट के भीतर ही पारित हो गए।[i]

वर्ष 2023 के बजट सत्र के दौरान, मात्र 18 घंटे ही वित्तीय मामलों को समर्पित किए गए थे। बजट पर आम चर्चा के लिए सिर्फ 16 घंटे आवंटित किए गए थे, जोकि पिछले बजट सत्रों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम थी। पिछले बजट सत्रों में वित्तीय कार्यों पर औसतन 55 घंटे की चर्चा हुई थी।[i] पिछले सात वर्षों के दौरान, बजट का औसतन 79 हिस्सा बिना किसी पड़ताल या बहस के स्वीकृत किया गया है।[ii] वर्ष 2023 में सभी सरकारी मंत्रालयों के प्रस्तावित खर्च, जो कि 45 लाख करोड़ रुपये हैं, बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए।[iii] इसके अलावा 2023 के मानसून सत्र में, 25 में से केवल 3 विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजा गया था, जोकि मात्र 17 प्रतिशत ही रेफरल दर है और पिछली तीन लोकसभाओं के 45 प्रतिशत के रेफरल दर से काफी कम है।[iv]

मीडिया की स्थिति की समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि कैसे लोकतंत्र का यह खंभा व्यवसाय-उन्मुख हितों वाले लोगों द्वारा बढ़ते पूंजी निवेश, बढ़ती सांप्रदायिकता, सत्ता की आलोचना की सिकुड़ती जगह और 'हां में हां' नहीं मिलाने वाले पत्रकारों/मीडिया संगठनों पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर खुद को टिकाए रखने के लिए जूझ रहा है। सरकारी विज्ञापन अनुबंधों पर बहुत अधिक भरोसा करने वाले मीडिया प्रतिष्ठान, व्यवसाय और संपादकीय फैसलों के बीच की रेखा को धुंधला करते हुए केंद्र सरकार को अपनी कहानी का प्रचार करने के वास्ते प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया विज्ञापनों में सालाना 180 करोड़ रुपये (20.4 मिलियन यूरो) से अधिक का निवेश करने की इजाजत दे रहे हैं। हर साल अपने काम के सिलसिले में औसतन 4

पत्रकारों की हत्या के मद्देनजर भारत मीडिया के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। मीडिया और प्रकाशन उद्योग में लोगों की संख्या 2016 में 10.3 लाख से घटकर 2021 में 2.3 लाख हो जाना स्पष्ट रूप से इन अहितकर रुझानों का प्रमाण है।

इसके अलावा, एक भयावह असर ने न सिर्फ पारंपरिक नागरिक समाज समूहों, बल्कि व्यापार, परोपकार, मीडिया, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों और आम नागरिकों को भी समान रूप से प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति छात्रों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों, कलाकारों, अभिनेताओं, हास्य कलाकारों, तथ्यों की जांच करने वालों, प्रकाशकों और कई अन्य नागरिकों के खिलाफ अपनी मौलिक आजादी का इस्तेमाल करने के लिए कठोर कानूनों के तहत आरोप लगाए जाने के बाद पैदा हुई है।

सामाजिक न्याय और जलवायु संकट से जुड़े मुद्दों को हल करने में घरेलू नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के बजाय, इस देश में सीएसओ को खुद को नई, सख्त नियामक अनुपालन संबंधी जरूरतों से निपटने के लिए जद्दोजहद करते हुए देखा गया है। जबकि दुनिया भर में सरकारों ने अपने गैर-लाभकारी क्षेत्रों को महामारी के दौरान राजकोषीय सहायता और/ या कर संबंधी प्रोत्साहन प्रदान किया। इसके साथ ही, प्रामाणिक डेटा हासिल करने की लड़ाई भी सीएसओ की नीतियों का विश्लेषण करने, कार्यक्रम डिजाइन करने, बहिष्कृत लोगों की हिमायत करने या प्रभाव का मूल्यांकन करने की क्षमता में बाधा बन रही है क्योंकि 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना के निकट भविष्य में कराये जाने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है और अन्य डेटासेट को छुपाया या बदनाम किया जा रहा है।

विकास की स्थिति

भारत में एक दशक से अधिक समय से गरीबी के आधिकारिक आंकड़ों का अभाव है। लेकिन विभिन्न अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि महामारी के बाद से गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। खासकर, हाशिए पर रहने वाले समूह के लोग इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं। श्रम बाजार में आए संरचनात्मक बदलावों की वजह से आय में गिरावट, बचत में कमी और घरेलू कर्ज में इजाफा हुआ है – खासतौर पर, ग्रामीण इलाकों में गरीबी और खाद्य असुरक्षा पर खासा असर पड़ा है। जीडीपी में मजबूत वृद्धि के बावजूद, भारत में जबरदस्त असमानता बनी हुई है। शीर्ष 10 फीसदी लोगों की झोली में राष्ट्रीय आय का 57 फीसदी हिस्सा है और इनमें से भी सबसे ऊपर के एक फीसदी के पास राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी हिस्सा है। इसके उलट, राष्ट्रीय आय में नीचे के 50 फीसदी लोगों की हिस्सेदारी घटकर 13 फीसदी रह गई है। समावेशी लोकतांत्रिक विकास, असमानता को बढ़ाने और हाशिये पर पड़ी आबादी को बाहर धकियाने के मद्देनजर वर्तमान विकास के प्रतिमान काफी कमजोर है।

देश को 2021-22 में महामारी से पहले 91,481 रुपये के कम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, एक अनुत्तरदायी राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रणाली की वजह से सकल घरेलू उत्पाद के बनिस्बत ऋण के अनुपात में 59 फीसदी की बढ़ोतरी, घटते सार्वजनिक प्रावधान और लगभग 13 फीसदी की उच्च मुद्रास्फीति की समस्या से जूझना पड़ रहा है। निजी निवेश, जोकि विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों में तेज गिरावट के साथ 2011 में सकल घरेलू उत्पाद के 31 फीसदी से घटकर 2020 में 22 फीसदी रह गया है। आर्थिक प्रगति के बावजूद, भारत की श्रमशक्ति कृषि की ओर बढ़ रही है और सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है, फिर भी किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कुल 70 फीसदी सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्यमों

(एमएसएमई), जो भारत के विकास में अहम् योगदान देने वाले हैं, का बंद हो जाना नीतिगत समर्थन की जरूरत पर भी प्रकाश डालता है।

बढ़ती गरीबी और असमानता ठोस सामाजिक सुरक्षा उपायों की एक आकस्मिक जरूरत भी पैदा करती है। लेकिन वर्तमान में जो मौजूद है वह पात्रता संबंधी मानदंडों (समावेशन और बहिष्करण), संचालनात्मक प्रक्रियाओं और विभिन्न विभागों, कल्याण बोर्डों और प्रकोष्ठों द्वारा प्रशासित लक्ष्य समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं का एक पैबंद है। आय की असमानता भुखमरी और पोषण की दयनीय स्थिति की ओर भी ले जा रही है। कुल 70 फीसदी आबादी पौष्टिक और स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ है। प्रति दिन प्रति व्यक्ति 2,200 कैलोरी का सेवन करने में असमर्थ रहने वाली ग्रामीण आबादी का अनुपात 2011-12 में 68 फीसदी से तेजी से बढ़कर 77 फीसदी हो गया है।, भारत अब 121 देशों के विश्व भुखमरी सूचकांक में 107वें पायदान पर है।

सार्वजनिक संसाधनों को स्वास्थ्य सेवाओं की ओर मोड़ने की जरूरत के बावजूद, पीएम-जेएवाई के 75 फीसदी भुगतान निजी संस्थाओं को किए जाने के साथ सरकारी खजाने का मुंह निजी क्षेत्र के पक्ष में खोला जा रहा है। जहां 2020 में 46 फीसदी आबादी तक सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं पहुंची, वहीं बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच को लेकर भारी असमानताएं हैं। सबसे कम आय स्तर वाली 29 फीसदी आबादी की बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच थी, जबकि उच्चतम आय वाले समूह की पहुंच 96 फीसदी की थी।

देश भर में मात्र 25.5 फीसदी स्कूल ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे के मानदंडों का अनुपालन करते हैं। यह अनुपालन दर 63.6 फीसदी (पंजाब) और 1.3 फीसदी (मेघालय) के बीच है। अन्य वजहों के अलावा महामारी और अपर्याप्त वित्तीय आवंटन के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रारंभिक समय-सीमा चूक गई है। वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच प्रति छात्र बजट में मात्र 750 रुपये की वृद्धि के साथ उच्च शिक्षा के लिए राज्य की वित्तीय सहायता में लगातार कमी आई है। उच्च शिक्षा संस्थान भी बौद्धिक दरिद्रता का अनुभव कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख विश्वविद्यालयों में खराब शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इस सब के बावजूद, सरकारी कॉलेज लगातार प्रति कॉलेज के हिसाब ज्यादा संख्या में छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षा एवं कूटनीति बेहतर हुई है, लेकिन घरेलू स्तर पर अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना के शुरू होने के लगभग 15 वर्षों के बाद भी इसका कोई व्यवस्थित मूल्यांकन नहीं किया गया है, जबकि हाल ही में पारित कानूनों और अधिसूचनाओं में 28 फीसदी वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के प्रावधान को हटाने के अलावा अन्य ऐसे बदलाव भी शामिल हैं, जो पर्यावरण को खतरे में डाल सकते हैं। इसके अलावा, भारत में उच्च व्यय वाले परिवार (शीर्ष 20 फीसदी) कम खर्च वाले परिवारों की तुलना में लगभग सात गुना अधिक कार्बन का उत्सर्जन करते हैं और जलवायु परिवर्तन हाशिए पर रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों और सूखे के कारण हाशिए पर रहने वाली जातियों के गरीब किसानों को प्रभावित करता है।

हाशिए पर रहने वाले समुदायों की स्थिति

इस अवधि में कोविड-19 महामारी और उसके बाद की स्थिति शामिल थी। इन दोनों का सबसे ज्यादा असंगत प्रभाव हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़ा।

महामारी के दौरान जहां अभूतपूर्व पैमाने पर बच्चों द्वारा स्कूल की पढाई छोड़ने (ड्रॉपआउट) के मामले दर्ज किए गए, वहीं 2022 में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में नामांकन दर फिर से महामारी-पूर्व के आंकड़ों के बराबर हो गई। हालांकि, सीखने की क्षमता में हुए नुकसान, पोषण के मामले में अंतर, बच्चों के खिलाफ व्यापक हिंसा और बाल श्रम एवं बाल विवाह के निरंतर मामलों से उत्पन्न चुनौतियों की आलोचनात्मक विश्लेषण के मद्देनजर बच्चों की तरफ और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

बढ़ती बेरोजगारी के साथ-साथ इन चुनौतियों का युवा आबादी पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप 20 फीसदी से अधिक युवाओं ने जेहन में आत्महत्या के विचार आने की सूचना दी है। भले ही आबादी के इस महत्वपूर्ण हिस्से को समर्थ बनाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय युवा नीति 2021 इनके सामाजिक जुड़ाव के बहुत कम रास्ते सुझाती है। यह नीति तो उनके राजनीतिक जुड़ाव के लिए शायद ही कोई रास्ता सुझाती है, जो विश्वविद्यालयों या स्थानीय सरकारों या व्यावसायिक संघों जैसे संस्थानों की पैतृक दृष्टिकोण से हटकर हो।

विकास की नीतियां बनाने के क्रम में मौलिक विचार प्रक्रिया को विकसित करने की जरूरत है। यही तर्क महिलाओं के संदर्भ में भी दिया जा सकता है क्योंकि भले ही "महिला सशक्तिकरण" पर समग्र ध्यान में ठोस तरीके से वृद्धि हुई है, लेकिन इस सशक्तिकरण को वेतन समानता, निर्णय लेने में स्वायत्तता, और सभी किस्म के पहचानों में महिलाओं के लिए आने वाली संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के संदर्भ में परिभाषित करने की निरंतर जरूरत है। यही एक समतापूर्ण समाज की दिशा में बढ़ने का एकमात्र तरीका है जो महिलाओं द्वारा की जाने वाली देखभाल संबंधी अवैतनिक कार्यों, जो भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7.5 फीसदी के बराबर है, को मान्यता देता है और जो संभावित रूप से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और बच्चों की देखभाल जैसे देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक खर्च के माध्यम से वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसदी से भी कम है।

दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुदृढ़ता और अधिकारों के बारे में सरकार की ओर से बार-बार उल्लेख किए जाने के बावजूद, इन समुदायों के सशक्तिकरण की स्थिति और उपेक्षा की प्रणाली काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई है। पिछले पांच वर्षों में मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) से संबंधित 347 मौतें दर्ज की गई हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन में भेदभाव भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक हकीकत है। मुसलमानों के लगातार सामाजिक बहिष्कार की वजह से उनका आर्थिक पिछड़ापन निरंतर बना हुआ है – 31 फीसदी गरीबी रेखा से नीचे हैं। जहां उन्हें इस दलदल से बाहर लाने के लिए किसी भी निर्दिष्ट सरकारी नीति का अभाव है, वहीं समुदाय में सुरक्षा और सुरक्षा की भावना कम हो गई है। इसकी पुष्टि 2014 से अबतक हुई गौरक्षकों की 206 घटनाओं से होती है और 2023 के मात्र नौ महीनों के दौरान ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 539 घटनाओं से इसके बढ़े हुए असर का पता चलता है। अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक एजेंसी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने वर्ष 2023-24 के दौरान आवंटन में लगभग 75 फीसदी की कटौती का अनुभव किया।

हाल के वर्षों में कुछ प्रगतिशील कानून पारित करने के बावजूद, भारत ने 2019 और 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एलजीबीटीक्यू अधिकारों के संरक्षण की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ के अधिदेश को नवीनीकृत करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया, जिससे इस समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा हुआ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे दौर से दिव्यांगता से संबंधित डेटा के संग्रह को हटाने के हालिया फैसले से दिव्यांगजनों के समावेशन की सरकार की प्रतिबद्धता भी संदेह के घेरे में है।

पुरुष कृषि मजदूरों की वास्तविक मजदूरी 2014-15 और 2021-22 के बीच एक फीसदी से भी कम बढ़ी; 2017-2022 के बीच कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा आत्महत्या करने का आंकड़ा लगभग 53,000 था। लगभग 100 छोटे किसान प्रति घंटे अपनी जमीन खो रहे हैं, जबकि प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ अपर्याप्त सुरक्षा और कुप्रबंधित बीमा योजनाएं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बढ़ा रही हैं।

शहरी क्षेत्रों में, आवास और पानी एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा के बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता जैसी जरूरतों के अभाव की वजह से शहरी क्षेत्रों, जहां 30 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है, में बहुआयामी गरीबी बढ़ रही है। पीएम आवास योजना के अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) घटक ने जहां 450 मिलियन की कुल चिन्हित प्रवासी आबादी के लिए ढाई साल में 6000 से भी कम आवासीय इकाइयां बनाईं, वहीं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एवं चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में प्रवासी श्रमिकों की आबादी लगातार बढ़ी है।

शासन की स्थिति

जहां पिछले पांच केंद्रीय बजट देश में बढ़ती बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति, कम उपभोग की मांग और बढ़ती असमानता की पृष्ठभूमि में पेश किए गए, वहीं प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया और अनुसूचित जाति, जनजातीय समुदायों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों एवं दिव्यांगजनों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश की उपेक्षा की गई।
भारत में लगभग 80 फीसदी गैर-सरकारी संगठनों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम करने, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत का योगदान करने और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है, इसके बावजूद सरकार ने अक्सर विकास क्षेत्र को विकास में बाधा के रूप में देखा है।

भले ही भारत यूपीआई जैसी ई-गवर्नेंस पहल में अग्रणी है, लेकिन यह दुनिया में इंटरनेट शटडाउन के मामले में भी सबसे आगे है। वर्ष 2023 में, इंटरनेट सेवाओं को 44 बार निलंबित किया गया और इसके परिणामस्वरूप 2000 करोड़ रुपये (255.2 मिलियन डॉलर) से अधिक का नुकसान हुआ और 2,353 घंटों के डाउनटाइम से 4.32 करोड़ उपयोगकर्ता प्रभावित हुए। उभरते डेटा प्रशासन परिदृश्य में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के साथ तकनीकी प्रगति को संतुलित करना बहुत धीमी प्रगति को देखते हुए एक चुनौती है। नए डेटा संरक्षण विधेयक 2023 और डिजिटल इंडिया अधिनियम में डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए बढ़ती निगरानी और खोखली सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं, जबकि 2021 में

सरकारी सत्तावादी कार्रवाइयों की वजह से भारत की फ्रीडम हाउस रेटिंग भी 'मुक्त' से बदलकर 'आंशिक रूप से मुक्त' हो गई।

अगस्त 2023 में संसद में पेश की गई बारह कैग रिपोर्टों में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों के कामकाज में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पता चला। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में भ्रष्टाचार से लड़ने का एकमात्र प्रभावी तरीका सरकार और उसके पदाधिकारियों को जवाबदेह बनाए रखने के लिए नागरिकों को उपयुक्त उपकरणों और संस्थानों के साथ सशक्त बनाना है। हालांकि, दुर्भाग्य से, वर्तमान सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पारदर्शिता और जवाबदेही के कानूनों एवं संस्थानों को लगातार कमजोर करने का रहा है।

सभी लोगों, विशेष रूप से सबसे ज्यादा हाशिए पर रहने वाले लोगों, के बुनियादी मानवाधिकारों पर निरंतर बहु-आयामी हमलों के साथ, पिछले पांच वर्षों में मानवाधिकारों की सोची-समझी पुनर्परिभाषा और जमीनी स्तर पर उसका दुरुपयोग और इससे जुड़ी अश्लीलतावादी चालबाजी सामने आई है। यह इशारा किसी भी तरह से अपने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए राज्य से जवाबदेही मांगने की लोगों की शक्ति के दायरे का विस्तार नहीं करता है - जो आदर्श रूप से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के लिए मुख्य आधार होना चाहिए।

निष्कर्ष

ये महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि विभिन्न संगठनों, अधिकार-आधारित अभियानों और गठबंधनों, शिक्षाविदों और व्यक्तियों सहित नागरिक समाज के उन सदस्यों की तरफ सामने से आ रही हैं, जिनके पास इस विषय पर काम करने का दशकों का अनुभव है जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। यह रिपोर्ट शासन के जन-केंद्रित दृष्टिकोण और पेश आने वाली चुनौतियों से संबंधित एक सहयोगात्मक कार्य का प्रतिनिधि है। यह समग्र कार्य एक न्यायसंगत और समावेशी राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक व्यापक समावेशी संवाद की ओर ध्यान और चिंतन का पात्र है। हम इन चुनौतियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नीति-निर्माण प्रक्रियाओं को नागरिकों के दृष्टिकोण से विधिवत अवगत कराया जाएगा और सम्मान के साथ समानता की तलाश में आगे बढ़ाया जाएगा।

निम्नलिखित मांगें इस रिपोर्ट की अंतर्दृष्टि पर आधारित हैं और सभी क्षेत्रों में अधिकार-आधारित भाषा को कायम रखते हुए भारत के संवैधानिक मूल्यों को फिर से स्थापित करने की तत्काल जरूरत को दर्शाती हैं और तमाम राजनीतिक दलों एवं भावी सरकार से व्यापक रूप से निम्नलिखित आह्वान करती हैं कि:

➔ हाशिए पर रहने वाले समुदायों का समावेश सुनिश्चित करें
➔ एक पारदर्शी तंत्र के जरिए राज्य और प्रशासनिक कार्यकलापों की जवाबदेही सुनिश्चित करें
➔ सभी के मानवाधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा सुनिश्चित करें
➔ लोकतंत्र के अन्य स्तंभों: न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संबद्ध संस्थानों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करें

पूरी रिपोर्ट *wadanatodo.net* पर

संसदीय बहस: नदारद

1.पर्याप्त बहस के बिना विधेयकों का तेजी से पारित होना विधायी गुणवत्ता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करता है। भारतीय संसद के 2023 के मानसून सत्र में, 22 विधेयक पारित किए गए, जिनमें से 20 पर एक घंटे से भी कम चर्चा हुई और महत्वपूर्ण विधेयकों सहित नौ विधेयक लोकसभा में 20 मिनट के भीतर पारित हो गए।[1]

2. 2023 के मानसून सत्र में, 25 में से केवल 3 विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजा गया था जो कि केवल 17% रेफरल दर है जो पिछली तीन लोकसभाओं के 45% से काफी कम है। इसके विपरीत, यूके का संसदीय लोकतंत्र सभी विधेयकों (धन विधेयक को छोड़कर) को पूरी तरह से समिति परीक्षण और विधायी जांच के अधीन करता है।[2]

3. भारतीय संसद में केंद्रीय बजट बहस में शामिल होना पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचित राजकोषीय नीति के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि, 2023 के बजट सत्र में, केवल 18 घंटे वित्तीय मामलों के लिए समर्पित थे। बजट की सामान्य चर्चा के लिए केवल 16 घंटे आवंटित किए गए थे जो पिछले बजट सत्रों से एक महत्वपूर्ण कमी थी जिसमें औसतन 55 घंटे की वित्तीय व्यापार चर्चा हुई थी।[3]

4. पिछले सात वर्षों में औसतन 79 प्रतिशत बजट बिना जांच या बहस के स्वीकृत किया गया है।[4]

5. 2023 में सभी सरकारी मंत्रालयों के 45 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित खर्च बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए।[5]भारत में वर्तमान संसद सदस्यों (सांसदों) में से 40 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, इनमें से 25% सांसदों पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं।[6]

सिफारिशें

- प्रत्येक विधेयक की व्यापक चर्चा और समीक्षा के लिए विशिष्ट समय-सीमाएं और समय-सीमाएं अनिवार्य करना।
- जटिल विधेयकों को गहन जांच के लिए तुरंत विपक्षी सदस्यों की अध्यक्षता वाली संसदीय समितियों के पास भेजें।
- सार्वजनिक भागीदारी के लिए एकीकृत तंत्र जैसे सार्वजनिक परामर्श
- सांसदों के लिए सख्त जवाबदेही की एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, साथ ही उन लोगों के लिए सराहना भी की जानी चाहिए जो लगातार संसदीय कार्यवाही में संलग्न रहते हैं।
- संसदीय कैलेंडर की सक्रिय योजना बनाना अनिवार्य है। यह योजना सावधानीपूर्वक होनी चाहिए, विधायी कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, लंबित विधेयकों को प्राथमिकता देनी चाहिए और व्यापक विचार-विमर्श सुनिश्चित करना चाहिए।
- राजनीति में अपराधीकरण के वर्तमान मुद्दे से निपटने के लिए भारत के विधि आयोग और विभिन्न समितियों (जैसे वोहरा रिपोर्ट) के सुझावों पर विचार-विमर्श करें।
- संसदीय चिंताओं को दूर करने के लिए विशेषज्ञों के नेतृत्व में ब्रीफिंग सत्र आयोजित करें। प्रासंगिक घटनाओं के लिए सहायता और कैसेट ऋण के प्रावधान के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो-विज़ुअल रूम स्थापित करें और समस्या-उन्मुख त्वरित अध्ययन जैसे वर्तमान जागरूकता श्रृंखला, पृष्ठभूमि नोट्स और मुद्दे संक्षेप पेश करें।

अमृत काल में भारतीय मीडिया

1. सीएसडीएस-मीडिया स्टडी ग्रुप के 2006 के एक अध्ययन से पता चला कि समाचार कक्षों में 88 प्रतिशत लोग उच्च जाति के हैं।[1] .ऑक्सफैम ने भी अपने 2022 के अध्ययन में यही बात दोहराई कि यह संख्या और बढ़कर 92 प्रतिशत हो गई है।[1]

2. विश्व स्वतंत्रता सूचकांक पर भारत की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है। 2023 में, भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर था जो कि 2022 की 150वीं रैंकिंग और 2021 की 142वीं रैंकिंग से एक महत्वपूर्ण गिरावट है।

3. हाल ही में न्यूज़क्लिक पोर्टल के प्रधान संपादक की गिरफ़्तारी, साथ ही बीबीसी के पूर्व संपादक विनोद वर्मा, कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ़ और फ़्रांसीसी फ़िल्म निर्माता कॉमिटी पॉल एडवर्ड्स (कश्मीर में एक वृत्तचित्र बना रहे हैं) जैसे देशद्रोह और भारत के ख़िलाफ़ साजिश रचने वाले पत्रकारों को निशाना बनाया गया। भारत में पत्रकारों को हिंसा और धमकी का सामना करने की चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालें।

4. मीडिया आउटलेट्स की प्रचुरता स्वामित्व की एकाग्रता की प्रवृत्ति को छिपाती है, टाइम्स ग्रुप, एचटी मीडिया लिमिटेड, द हिंदू ग्रुप और नेटवर्क18 सहित राष्ट्रीय स्तर पर केवल कुछ ही फैली हुई मीडिया कंपनियां हैं। देश की प्रमुख भाषा हिंदी में चार दैनिक पाठकों की तीन-चौथाई पाठक संख्या है।

5. शेयर बाजार के ऊंचे मूल्यों के बावजूद, मीडिया आउटलेट सरकारी विज्ञापन अनुबंधों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जिससे व्यवसाय और संपादकीय निर्णयों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इससे केंद्र सरकार को अपने स्वयं के आख्यान को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया विज्ञापनों में सालाना 1.8 बिलियन रुपये (20.4 मिलियन यूरो) से अधिक का निवेश करने की अनुमति मिलती है।

6. हर साल अपने काम के सिलसिले में औसतन तीन या चार पत्रकारों की हत्या के साथ, भारत मीडिया के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है।

भारत का सिविक स्पेस 2019-2023: ब्रेकिंग प्वाइंट या टर्निंग प्वाइंट?

1. छात्रों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों, कलाकारों, अभिनेताओं, हास्य कलाकारों, तथ्य-जाँचकर्ताओं, प्रकाशकों और मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने वाले कई अन्य नागरिकों पर कठोर कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं लेकिन व्यापार, परोपकार, मीडिया, शिक्षा जगत और आम नागरिक समान रूप से एक 'द्रवना प्रभाव' पैदा कर रहे हैं, जिसने पारंपरिक नागरिक समाज समूहों को शामिल किया है।

2. दुनिया भर की सरकारों की ओर से स्पष्ट रूप से अलग प्रतिक्रिया में, जिनमें से सभी ने 2020 में महामारी के प्रकोप के साथ अपने गैर-लाभकारी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता और/या कर प्रोत्साहन प्रदान किया, भारत में सामाजिक संगठनों ने खुद को नए, कठिन नियामक अनुपालन से निपटने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। आवश्यकताएं।

3. विदेशी अंशदान (नियामक) अधिनियम संशोधन, 2020 में संशोधन बढ़ते प्रतिबंधों के विशिष्ट लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं क्योंकि वे अनुसंधान, अभियान, वकालत और अधिकार-आधारित कार्यक्रमों के काम को असंभव के करीब प्रस्तुत करते हैं।

4. धारा 144 के अंधाधुंध उपयोग और इंटरनेट शटडाउन के कारण अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता में बाधाएं सामने आई हैं, जिसके लिए भारत के पास संदिग्ध विश्व रिकॉर्ड है1।

5. प्रामाणिक डेटा की लड़ाई नागरिक समाज के लिए एक प्रमुख मोर्चा रही है, जिसमें 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना के जल्द ही आयोजित होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है और अन्य डेटासेट को दबा दिया गया है या बदनाम किया जा रहा है।

6. व्यवस्थित रूप से प्रचारित आख्यान ने सामाजिक न्याय और जलवायु संकट के मुद्दों को संबोधित करने में घरेलू भारतीय परोपकार की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के बजाय नागरिक समाज को अप्रभावी, अक्षम, गैर-जिम्मेदार और राष्ट्रीय हितों के प्रति शत्रु के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है।

सिफारिशें

- 'स्वैच्छिक क्षेत्र' की औपचारिक मान्यता - इसकी भूमिका, मूल्य और राष्ट्रीय आय, रोजगार, विकास परिणामों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में योगदान - महत्वपूर्ण है।

- फोकस केवल वित्तीय और भौतिक सहायता प्रदान करने से हटकर नीतिगत वकालत में संलग्न होने की ओर होना चाहिए, जैसा कि COVID-19 महामारी के दौरान देखा गया था।

- प्रवासी समुदाय द्वारा धार्मिक, जाति और वर्ग विभाजन से परे सहयोगात्मक कार्रवाइयां, नागरिक समाज के आयोजन के लिए प्रेरणा और टेम्पलेट दोनों प्रदान करती हैं।

- असहमत कानूनों के तहत व्यापक, अस्पष्ट रूप से परिभाषित अपराधों को निरस्त करना, जिसका उद्देश्य असहमति को दबाना और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सभा और संघ को कम करना है।

वृद्धि और विकास का रहस्योद्घाटन (2019-2023)

1. 2021-22 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी गिरकर 91,481 रुपये हो गई, जो 59% ऋण-से-जीडीपी वृद्धि, सार्वजनिक सेवाओं में कमी, उच्च मुद्रास्फीति (लगभग 13%) और 40% क्षमता से नीचे काम करने वाले उद्योगों के कारण खराब हुई।

2. निजी निवेश 2011 में सकल घरेलू उत्पाद के 31% से घटकर 2020 में 22% हो गया, औद्योगिक निवेश प्रस्ताव 612 (जुलाई 2021) से गिरकर 118 (जुलाई 2022) हो गए।

3. ऐतिहासिक रूप से, जैसे-जैसे कोई देश आर्थिक प्रगति करता है, उसका कार्यबल कृषि से दूर होता जाता है: भारत में इसका उलट सच है। भारत के कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई (4.6% वार्षिक), लेकिन अब निरस्त कृषि अधिनियम और कम एमएसपी जैसे नीतिगत बदलावों से इसकी लचीलापन कम होने का खतरा है।

4. भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दक्षिण एशिया में सबसे कम है, क्योंकि अधिकांश महिलाओं का योगदान अवैतनिक और अदृश्य है क्योंकि यह अनौपचारिक क्षेत्र में केंद्रित है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हैऔर कृषि में 80% ग्रामीण महिलाएं कार्यरत हैं।

5. भारत की अर्थव्यवस्था में MSMEsमहत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन 70% बंद हो गए हैं, और बचे हुए MSMEs नीति समर्थन के बिना 1/3 राजस्व गिरावट की रिपोर्ट करते हैं।1

6. चार श्रम संहिताओं जैसे श्रम सुधारों ने दैनिक कामकाजी घंटों को बढ़ाकर 10-12 कर दिया, जिससे उच्च बेरोजगारी वाले माहौल में रोजगार को नुकसान पहुंचा।

7. भारत की आय असमानता गंभीर है, शीर्ष 10% और 1% के पास 57% और 22% आय है, जबकि निचले 50% के पास केवल 13% है।

8. भारत के पास हालिया गरीबी डेटा का अभाव है, और इसकी लिंग अंतर सूचकांक रैंक 156 देशों में से 140 तक गिर गई है।1

9. ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2023 में भारत की रैंकिंग 4 पायदान गिरकर 121 में से 111 पर आ गई है। भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा 18.7% बच्चों की 'वेस्टिंग' (ऊंचाई के अनुसार कम वजन) दर से पीड़ित है, जिसमें 35% बच्चे अविकसित हैं। भारत और कुल जनसंख्या का 16.6% कुपोषित है।

10. आय और रोजगार में भेदभाव प्रचलित है, एससी, एसटी और मुसलमानों (17% बेरोजगारी) को संसाधनों और अवसरों तक असमान पहुंच का सामना करना पड़ रहा है।

11. प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, जो वर्तमान में कुल राजस्व का केवल 35% है, महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से संपत्ति कर के उन्मूलन और कॉर्पोरेट करों में कमी को देखते हुए, जो 2014-15 में कर राजस्व के 35% से घटकर आज कुल कर राजस्व का 27% हो गया है।

12. कॉर्पोरेट कर व्यय और असंग्रहित करों के माध्यम से राजस्व हानि महत्वपूर्ण है, जो सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को निधि देने के लिए पर्याप्त है।

शिक्षा के अधिकार को साकार करने के लिए NEP को संशोधित करें

1. देश भर में केवल 25.5% स्कूल बुनियादी ढांचे के मानदंडों को पूरा करने में RTE के अनुरूप हैं; अनुपालन दर 63.6% (पंजाब) और मेघालय में मात्र 1.3% के बीच है।

2. 2017-18 से 2021-22 तक, सरकारी स्कूलों में (72,000+) 6.59% की कमी आई, और आगे महामारी के दौरान, कई बच्चों को उच्च निजी स्कूल फीस के कारण ऑनलाइन कक्षाओं से बाहर रखा गया।

3. 11 लाख शिक्षकों की रिक्तियां हैं जिनमें से 69% रिक्तियां ग्रामीण भारत में हैं। आरटीई अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, लगभग 1.2 लाख स्कूलों में केवल एक शिक्षक है।

4. PM-SHRI जैसे मॉडल स्कूलों में संभ्रांत पूर्वाग्रह शैक्षिक असमानता को गहरा करता है जिसमें भेदभाव और हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं।

5. सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो शुरू में सबसे अधिक शैक्षिक रूप से वंचित समुदाय (मुस्लिम बच्चों) को समर्थन देने के लिए बनाई गई थी, ग्रेड 1-8 के लिए बंद कर दी गई थी।

6. 2021-22 में, NEP के कारण समग्र शिक्षा बजट 31,050 करोड़ रुपये हो गया, जो 57,914 करोड़ रुपये की मांग से कम है। एनईपी के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना में नाश्ता, बजट की कमी के कारण रद्द कर दिया गया था।

7. हाल ही में यूनेस्को के एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली तेजी से विभाजित है, जिसमें आर्थिक रूप से बेहतर लोग निजी स्कूलों को चुनते हैं और सार्वजनिक शिक्षा के लिए समर्थन का स्तर सबसे कम है।

सिफारिशें

- यह सुनिश्चित करने के लिए एक समयसीमा पेश करें कि सभी स्कूल आरटीई 2009 के संपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करें और इसकी प्राप्ति सुनिश्चित करें।

- शिक्षा के अधिकार को साकार करने और देश के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा और संशोधन करें।

- युक्तिकरण के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करने और विलय करने पर रोक लगाएं।

- 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का विस्तार करें।

- पीपीपी, कॉर्पोरेट घरानों और गैर-सरकारी निकायों के लिए शिक्षा का फ्रेंचाइज़िंग, शिक्षक शिक्षा का निजीकरण या शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट अभिनेताओं की वृद्धि सहित शिक्षा के सभी प्रकार के निजीकरण और व्यावसायीकरण को उलट दें।

- छात्र लिंग, सामाजिक पहचान, वर्ग, निवास स्थान, धर्म, विकलांगता की स्थिति या अन्य आधारों पर शिक्षा में असमान पूर्णता और गुणवत्ता को संबोधित करें। सभी शैक्षणिक संस्थानों को समावेशी होना चाहिए, उचित आवास

प्रदान करना चाहिए और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप एक सार्वभौमिक डिजाइन का पालन करना चाहिए।

- सुनिश्चित करें कि आपात स्थिति और संघर्ष से बच्चों की शिक्षा बाधित न हो और पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित बाल श्रम, तस्करी, विस्थापन, बेघरता और शहरीकरण जैसी बाल संरक्षण चुनौतियों का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाएं।

- आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने, छात्रों को भविष्य की चुनौतियों का जवाब देने और ग्रहों की सीमाओं का सम्मान करने में सक्षम बनाने सहित शिक्षा की पूर्ण मानवतावादी दृष्टि और परिवर्तनकारी क्षमता को मजबूत करें।

- शिक्षा और शिकायत निवारण तंत्र में नागरिक, नागरिक समाज और समुदाय की भागीदारी के लिए तंत्र को मजबूत करना।

- ECCE , पूर्व-प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को कानूनी अधिकार के रूप में शामिल करके बचपन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परिभाषा के अनुरूप आरटीई अधिनियम के दायरे को जन्म से 18 वर्ष तक बढ़ाएं।

- यह सुनिश्चित करके शिक्षा के लिए पर्याप्त आवंटन करें कि यह सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से नीचे न जाए।

- मानदंडों और मानकों के साथ-साथ आरटीई अधिनियम का सही अर्थों में पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

- शिक्षा के व्यावसायीकरण और निजीकरण की वृद्धि को रोकें और फीस के विनियमन, गुणवत्ता मानदंडों के अनुपालन और निजी प्रावधान के विकास के माध्यम से सामाजिक अलगाव को संबोधित करने सहित एक राष्ट्रीय नियामक ढांचे का मसौदा तैयार करने, लागू करने और लागू करके निजी स्कूलों और ईसीसीई केंद्रों की जवाबदेही लागू करें।
- शिक्षा के अधिकार को साकार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा एवं संशोधन करें।

उच्च शिक्षा का ख़राब चरण

1. पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में स्वतंत्रता में गिरावट देखी गई है। संकाय सदस्यों को शिक्षण और अनुसंधान में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, कथित 'राष्ट्र-विरोधी' विचारों के लिए निलंबन, बर्खास्तगी और यहां तक कि गिरफ्तारी की घटनाएं भी होती हैं। सरकार या सत्तारूढ़ विचारधारा की आलोचना को अक्सर अपराध घोषित कर दिया जाता है, जिससे शिक्षकों में आत्म-सेंसरशिप पैदा हो जाती है।

2. वर्तमान शिक्षा प्रवृत्तियों में क्लासरूम पुलिसिंग व्यवस्था और केंद्रीकृत पाठ्यक्रम शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को विश्वविद्यालयों से अपने तैयार पाठ्यक्रम का पालन करने की आवश्यकता है, जिससे पाठ्यक्रम डिजाइन स्वायत्तता 20% तक सीमित हो जाती है। ऑनलाइन मोड की ओर बदलाव को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें कम से कम 30% पाठ्यक्रम केंद्रीय रूप से तैयार किया गया है, जिससे शिक्षकों के पाठ्यक्रम तैयार करने के अधिकार कम हो गए हैं।

3. दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में घटिया शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले शिक्षकों की नियुक्ति देखी गई है। अक्सर, मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि या उल्लेखनीय प्रकाशन वाले उम्मीदवारों को सत्तारूढ़ शासन द्वारा समर्थित लोगों के पक्ष में नजरअंदाज कर दिया जाता है। नियंत्रण कुलपतियों या निदेशकों की नियुक्ति तक फैला हुआ है, जो सत्तारूढ़ व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं।

4. राज्य की वित्तीय सहायता में लगातार कमी के साथ-साथ HEIs को बौद्धिक दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है। विश्लेषण से पता चलता है कि विश्वविद्यालयों के लिए राज्य वित्त पोषण में लगातार गिरावट आ रही है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रति छात्र अनुदान पिछले आठ वर्षों में 2.58% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दिखा रहा है, जो मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है।

5. नियमित विकास अनुदान की कमी वाले विश्वविद्यालय, बुनियादी ढांचे के लिए एचईएफए ऋण की ओर रुख करते हैं। हालांकि सरकार अधिकांश लागतों को कवर करती है, विश्वविद्यालय मूलधन का 10% वहन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त पुनर्भुगतान दायित्व होता है। 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल 26 ने कुल 4,142 करोड़ रुपये का HEFA ऋण प्राप्त किया, जो प्रति विश्वविद्यालय औसतन 159.3 करोड़ रुपये है। इसके विपरीत, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को क्रमशः 7,829.53 करोड़ रुपये और 9,346.29 करोड़ रुपये मिले।

व्यापार करने में आसानी की वेदी पर बलि चढ़ता पर्यावरण

1. नव पारित वन संरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 के तहत भारत के लगभग 28% वन क्षेत्र की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।
2. संयुक्त संसदीय समिति की कड़ी आपत्तियों के बावजूद जुलाई 2023 में जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पारित हो गया, जिसने 47 हितधारकों के परामर्श से इसकी समीक्षा की। भारत के जैविक संसाधनों को व्यावसायिक हितों के लिए और अधिक दोहन के लिए खोलने के लिए इस विधेयक की आलोचना की गई है।
3. पर्यावरण मंत्रालय ने 2020 में एक मसौदा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें अन्य 'व्यापार में आसानी' परिवर्तनों के बीच मंजूरी के बिना शुरू की गई परियोजनाओं को पूर्वव्यापी अनुमति देने की अनुमति दी गई। 200 मिलियन से अधिक टिप्पणियों के माध्यम से अधिसूचना की भारी आलोचना की गई, लेकिन सरकार ने कार्यालय ज्ञापन और मानक संचालन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला जारी करके वहां प्रभावित लगभग 80 बदलाव लाए।
4. मार्च 2021 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधन कैप्टिव खानों के पट्टेदारों को उनकी अंतिम-उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद सालाना खनन किए गए खनिजों का 50% तक बेचने की अनुमति देते हैं, जिससे पर्यावरण को अधिक जोखिम में डाल दिया जाता है। वाणिज्यिक बिक्री के लिए खनन।
5. तटीय विनियमन क्षेत्र में बदलावों ने 6,068 किमी लंबी मुख्य भूमि की तटरेखा को अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खोल दिया है, जिससे पारिस्थितिकी और अत्यधिक मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशील समुदायों को उच्च जोखिम में डाल दिया गया है।
6. जबकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी जलवायु महत्वाकांक्षा और कूटनीति में सुधार किया है, घरेलू स्तर पर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू होने के लगभग 15 साल बाद भी इसका कोई व्यवस्थित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

सिफारिशें

- भारत को अपनी प्रतिबद्धता हासिल करने के लिए अपनी नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षा को लगभग तीन गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी। भारत की 75 प्रतिशत बिजली और 70 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताएं अभी भी कोयले से आ रही हैं।

- भारत को एक मजबूत संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है जो पूरी तरह से जलवायु कार्रवाई और नीति पर केंद्रित हो।

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को अद्यतन करें और जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री की परिषद का पुनर्गठन करें

- जलवायु परिवर्तन पर सभी राज्य कार्य योजनाओं को उचित दिशा-निर्देश और वित्तीय सहायता देना

डेटा चिंताजनक खाद्य सुरक्षा और पोषण परिदृश्य दिखाता है

1. जनसंख्या अनुमान और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नियमों के अनुसार, एनएफएसए कोटा अभी भी पुरानी 2011 की जनगणना पर निर्भर करता है, जिसके कारण अनुमानित * 10 करोड़ व्यक्ति बाहर हो जाते हैं, जिसमें 67% आबादी को शामिल किया जाना चाहिए।

2. भारत कुपोषण और उच्च असमानता का सामना कर रहा है, 2020 तक 70% लोग पौष्टिक और स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ हैं।

3. प्रमुख पोषण कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन में काफी कमी आई है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम का आवंटन 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.13% से घटकर 2023-24 में 0.07% हो गया (आधा कम हो गया), 2014-15 में 2023-24 में 0.04%, उनके असंख्य सकारात्मक प्रभावों के बावजूद और मध्याह्न भोजन योजना का आवंटन 0.08% से घट गया।

4. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में एनीमिया, कम वजन और अविकसित बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 67%, 32% और 36% है, जो दुनिया में सबसे खराब है। फिर भी, कुपोषण को दूर करने के लिए दी जाने वाली धनराशि में बेतहाशा कटौती की जा रही है।

5. 4 करोड़ से अधिक राशन कार्ड बिना किसी स्पष्ट कारण के रद्द कर दिए गए, जिससे बायोमेट्रिक्स, आधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों के कारण बाहर कर दिया गया।

सिफारिशें

- वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौम बनाना ताकि हर मांग करने वाले को रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराया जा सके।

- सभी कमजोर व्यक्तियों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों, बेघर, यौनकर्मियों, ट्रांस लोगों और अन्य सभी कमजोर समुदायों को शामिल करने के लिए एनएफएसए के तहत कोटा को 2023 की जनसंख्या अनुमान के आधार पर तुरंत विस्तारित किया जाना चाहिए। 2011 की जनगणना के बाद से जनसंख्या में वृद्धि के मद्देनजर राज्यवार कोटा को फिर से निर्धारित करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के मामले में भी दिया है।
- विभिन्न पोषण और खाद्य-सुरक्षा-संबंधित योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिए, जिसमें ICDS योजनाएं, मध्याह्न साधन योजना, मातृत्व लाभ योजनाएं आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिनों, सहयोगिनियों आदि और उनके श्रम के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करें। ये वे लोग हैं जिनके माध्यम से योजनाएं वास्तव में जमीन पर टिक पाती हैं।

- जल्द से जल्द राष्ट्रीय जनगणना करायें। जनगणना से प्राप्त डेटा खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी योजनाओं के दायरे में अधिक लोगों को शामिल करने और यह समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि अंतराल/अनपेक्षित बहिष्करण कहां हो रहे हैं।

- NFSA के तहत विकेंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी) के आने से इन लोकतांत्रिक कानूनों की पारदर्शी प्रकृति अधिक कठिन और अपारदर्शी हो जाएगी। वर्तमान स्थिति में, डीपीडीपी अधिनियम वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (8)(1)(जे) का सीधा उल्लंघन है।

- भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए महत्वपूर्ण NFSA और अन्य योजनाओं के तहत खाद्य टोकरी का विस्तार करके छिपी हुई भूख की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत है। इसे प्राप्त करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों में भोजन में अंडे/समान रूप से प्रोटीन से भरे विकल्प को बहाल करना, केवल अनाज के बजाय दाल आदि को शामिल करना शामिल होगा।

- कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं पुनर्जीवित करना। एक सुनिश्चित MSP से किसानों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और NFSA योजनाओं के भीतर खाद्य सामग्री में विस्तार होगा।

क्या कोई कल्याणकारी राज्य अपने स्वास्थ्य बजट में कटौती कर सकता है?

1. मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किए जाने पर, स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय के लिए आवंटन में वास्तविक रूप से 2% की गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष वास्तविक आवंटन में 7% की गिरावट के बाद है। 2019-20 में जो देखभाल प्रदान की जा सकती थी, उसे अब सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, यह देखते हुए कि आवंटन में गिरावट आई है जबकि कीमतें आसमान छू रही हैं।

2. पिछले बजट (बीई 2022-23) में आवंटित संसाधन 2022-23 के संशोधित अनुमान में और भी कम हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का आवंटन 86,200 करोड़ रुपये (2022-23 बजट अनुमान) से घटकर 79,145 करोड़ रुपये (2022-23 संशोधित अनुमान) हो गया, जो 8% नाममात्र की गिरावट है।

3. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भुगतान का 75% निजी क्षेत्र को जाता है, जो सरकारी निधियों को निजी संस्थाओं की ओर मोड़ने को दर्शाता है। दलितों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा क्रमशः केवल 4% और 1.5% निजी देखभाल का उपयोग किया जाता है1 जो इस योजना की ओर इशारा करता है जिसके परिणामस्वरूप हाशिए पर रहने वाले समुदायों के व्यक्तियों का व्यवस्थित बहिष्कार होता है।

4. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए आवंटन स्वास्थ्य के कुल बजट का केवल 3% रहा है। ICMR, जिसने महामारी के दौरान टीकों सहित कई अनुसंधान पहलों का नेतृत्व किया है, को वास्तविक रूप से बजट में 17% की कटौती मिली है।

5. (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना) NMHP, राज्य द्वारा संचालित मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण की एक योजना को 40 करोड़ रुपये का मामूली आवंटन प्राप्त हुआ है - जो 2019-20 से वही जारी है। यह प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष केवल 30 पैसे खर्च करने के बराबर है।

6. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए फंडिंग में सिर्फ रुपये की बढ़ोतरी हुई। 291 करोड़, लेकिन जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है, तो यह वास्तव में 4.3% की कमी है। वास्तविक रूप से, ICDS से संबंधित फंडिंग अब 2014-15 के स्तर से नीचे है।

सिफारिशें

- केंद्र सरकार को तुरंत "स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार" पर कानून बनाना चाहिए। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी मानवाधिकार हैं जिन्हें सभी सरकारों द्वारा सर्वोच्च राजनीतिक प्राथमिकता के रूप में माना जाना चाहिए, खासकर वर्तमान स्थिति में चाहे वह केंद्र या राज्य स्तर पर हो।

- इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार और सुदृढ़ीकरण के बड़े संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिसमें कर्मचारियों की नियमित भर्ती, सभी रिक्त पदों को भरना, मानदेय का उन्नयन, आशा और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लंबित मानदेय और कामकाजी परिस्थितियों का तत्काल भुगतान करना, लोकतांत्रिक और भागीदारी शामिल है। शासन आदि को बड़े पैमाने पर विस्तारित सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट द्वारा समर्थित किया गया।

- सरकार को सुरक्षित मातृत्व, सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करने और विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का विस्तार करने, महामारी के दौरान होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। NHM बजट कटौती को तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए और गैर-संचारी रोगों के लिए अधिक संसाधन हस्तांतरित किए जाने चाहिए।

- सरकार को तुरंत PMJAY को ख़त्म कर देना चाहिए और इसके बजाय इन संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए करना चाहिए।

- NMHP की स्थापना के कई वर्षों के बाद भी मानव संसाधनों में भारी अंतर बना हुआ है। केवल टेली-मेडिसिन कार्यक्रम पर भरोसा करके सेवाओं में उन प्रमुख अंतरालों को भरने का प्रयास करने का निश्चित रूप से मतलब होगा कि समाज का एक बड़ा वर्ग गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से वंचित रहेगा।

- सरकार को सभी आवश्यक दवाओं, निदान, टीकों के घरेलू विनिर्माण उत्पादन को बढ़ाना चाहिए और अनिवार्य लाइसेंसिंग की नीति अपनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य नियंत्रण तंत्र सभी आवश्यक दवाओं को व्यापक रूप से कवर करे।

- केंद्र सरकार को स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण के सभी नीतिगत प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना चाहिए, जिसमें नीति आयोग द्वारा अपने हालिया दस्तावेज़ में प्रदान की गई सिफारिशों का पूरा सेट भी शामिल है, साथ ही केंद्र या राज्य सरकार के स्तर पर निजीकरण और जिला अस्पतालों जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को निजी प्रदाताओं को सौंपने के संबंध में सभी निर्णयों को उलट देना चाहिए।

- सरकार को सभी दवाओं के लिए निजी और सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा अतार्किक नुस्खों और दरों को तत्काल विनियमित करना चाहिए, कालाबाजारी पर अंकुश लगाना चाहिए और उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

- इन्हें NHRC की सलाह के अनुसार मरीजों के अधिकार चार्टर के कार्यान्वयन के साथ-साथ चलना चाहिए; क्लिनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम (सीईए) का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और उन राज्यों के संदर्भ में समान कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें जिन्होंने केंद्रीय सीईए को नहीं अपनाया है।

- अंत में, मृत्यु रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत करने की भी आवश्यकता है; अभिलेखों और प्रमाणपत्रों के अधिकार सुनिश्चित करना; और, रुग्णता, मृत्यु दर और उपयोग पर लिंग, जाति के अलग-अलग डेटा का सार्वजनिक प्रसार सुनिश्चित करना।

सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई रोडमैप नहीं

1. 'श्रम कानूनों और अन्य विनियमों पर कार्य समूह' (एमओएल एंड ई, 2011) ने न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा स्तर (एसडीजी लक्ष्य 1.3 और आईएलओ सिफारिश 204) पर जोर देते हुए सभी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय 'न्यूनतम लाभ नीति' की सिफारिश की। हालाँकि, भारत का वर्तमान श्रम संहिता सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाने के स्पष्ट लक्ष्य से कम है।

2. मौजूदा सामाजिक सुरक्षा प्रावधान औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों पर लागू होते हैं, जिससे अनौपचारिक श्रमिकों की जटिल जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिनके पास अक्सर कई नौकरियां होती हैं और बार-बार क्षेत्र बदलते हैं, और भारत के आधे से अधिक असंगठित श्रमिक स्व-रोज़गार हैं, जिससे नियोक्ता की पहचान करना और भी जटिल हो जाता है।

3. केवल 24.4% भारतीय आबादी के पास प्रभावी सामाजिक सुरक्षा कवरेज है जो कि जी20 देशों में सबसे कम है। तुलना के लिए, दक्षिण अफ्रीका के 49%, मेक्सिको के 62% और ब्राज़ील के 69% के पास अन्य समान जी20 देशों के बीच प्रभावी सामाजिक सुरक्षा कवरेज है।

4. गिरती जन्म दर दुनिया भर में पेंशन प्रणालियों पर दबाव डालती है, और भारत 47 वैश्विक सेवानिवृत्ति प्रणालियों में से 45वें स्थान पर है (पिछले वर्ष से थोड़ा सुधार)। जबकि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन को बढ़ावा देने में प्रगति की है, भारत में पेंशन कवरेज अपर्याप्त है, यहां तक कि निजी पेंशन योजना कवरेज भी 6% से भी कम है।

सिफारिशें

- एक नागरिक के संपूर्ण जीवन-चक्र को शामिल करने वाली एकीकृत, सार्वभौमिक और अनुकूली सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए एक स्पष्ट मानचित्र तैयार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को संशोधित करने की आवश्यकता है।

- WIEGO जैसे श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय संघों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि श्रमिक संगठन राज्य के साथ साझेदारी में सामाजिक सुरक्षा परिणामों का सह-उत्पादन करने में सक्षम हैं। एक पारस्परिक रूप से सक्षम नियामक ढांचा, जहां राज्य इन श्रमिक संगठनों को मान्यता देता है और सामाजिक सुरक्षा के लिए वितरण के बुनियादी ढांचे के रूप में अनौपचारिक श्रमिकों के समूहों को शामिल करने में सक्षम बनाता है, को संहिता के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

- सामाजिक सुरक्षा की प्रशासनिक और वित्तीय संरचना, केंद्र, राज्य प्राधिकरणों के बीच अतिव्यापी अधिकार के कारण, कई कार्यान्वयन बाधाओं को जन्म देती है और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भी इस धुंध को दूर करने में विफल रहती है। इस संदर्भ में अनौपचारिक कार्य की फुटलूज़ प्रकृति की जरूरतों पर ध्यान देने वाली एक एकीकृत वित्तीय और प्रशासनिक संरचना अत्यधिक आवश्यक है।

- (ए) श्रमिकों के बीच उनके सामाजिक सुरक्षा अधिकारों के बारे में जागरूकता, (बी) मौजूदा योजनाओं का एक समेकित डेटाबेस, (सी) साथ ही उनके द्वारा पेश की जाने वाली नई योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

- शासन में तकनीकी समाधानों को गोपनीयता, जवाबदेही और बहिष्कार के सवालों पर समान ध्यान देना चाहिए।

परस्पर जुड़े हुए प्रश्न

- बजटीय सहायता और कवरेज के विस्तार के साथ कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) जैसी मौजूदा योजनाओं को मजबूत करें।
- ESI अधिनियम में संशोधन करें और श्रमिकों के बहिष्कार से बचने के लिए वेतन सीमा सहित सभी प्रारंभिक सीमाएं हटाकर सभी ई-श्रम कार्ड धारकों को इसमें शामिल करें।
- आकार की परवाह किए बिना सभी प्रतिष्ठानों में मानक सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। सख्त निगरानी और नियामक जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित करें।
- कार्यस्थलों पर श्रमिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के उल्लंघन से संबंधित घटनाएं होने पर प्रमुख नियोक्ताओं सहित सख्त आपराधिक मुकदमा सुनिश्चित करें।
- सामाजिक सुरक्षा लाभ निर्धारित करने के लिए 'राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन' का तत्काल निर्धारण सुनिश्चित करें (डॉ. अनूप सत्पथी समिति की सिफारिशों के आधार पर)
- वित्तीय पहलुओं और बजटीय आवंटन को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। निर्वाह वेतनभोगी श्रमिकों के लिए, योगदान सरकारों की ओर से आना चाहिए।
- अन्य आयामों में 'सामाजिक सुरक्षा तल' में ESI लाभ, ईपीएफ लाभ, मातृत्व लाभ और अन्य सभी आवश्यक मानव कल्याण लाभ भी शामिल होने चाहिए।
- असंगठित श्रमिकों का पंजीयन समय-सीमा में पूर्ण किया जाये।
- बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिकों (जैसे, मथाडी बोर्ड) बनाने वाली प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग समर्पित क्षेत्र विशिष्ट कल्याण बोर्ड की स्थापना सुनिश्चित करें।

WASH - समता का मुद्दा

1. संबंधित राज्य सरकारों के समर्थन से जल जीवन मिशन के प्रमुख कार्यक्रम के परिणामस्वरूप अब तक 60% से अधिक ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का कवरेज हुआ है, जबकि 15 अगस्त 2019 तक यह केवल 17% था।

2. 2020 में, भारत की केवल 46% आबादी के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच थी, यानी, बेहतर स्वच्छता सुविधाएं जो अन्य घरों के साथ साझा नहीं की जाती हैं और जहां मल को सुरक्षित रूप से ऑनसाइट निपटाया जाता है या परिवहन किया जाता है और ऑफसाइट का इलाज किया जाता है।

3. बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच में भारी असमानताएं हैं। जब *4* समान समूहों में विभाजित किया गया, तो निम्नतम आय स्तर वाली केवल *29%* आबादी के पास बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच थी, जबकि उच्चतम आय स्तर वाले समूह में *96%* की पहुंच थी। (बुनियादी स्वच्छता में सुरक्षित मानव अपशिष्ट निपटान सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंच शामिल है) जैसे कचरा संग्रहण, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट जल उपचार।)

4. जुलाई 2020 तक, लगभग 60% शहरी आबादी ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों पर निर्भर है जो सीवर और केंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों से जुड़ी नहीं हैं।

सिफारिशें

- तकनीकी रूप से सक्षम एजेंसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति सेवा वितरण को पेशेवर बनाएं, जो पानी की गुणवत्ता परीक्षण, केंद्र और राज्य की योजनाएं आवश्यकता के अनुसार जल उपचार, क्लोरीनीकरण, वितरण, बिलिंग, संग्रह और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों सहित संचालन, रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित करें।
- AMRUT 2 को 24X7 पाइप जलापूर्ति योजनाओं में मौजूदा पाइप जलापूर्ति योजनाओं के रूपांतरण और विस्तार के लिए शहर के व्यापक पैमाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता में सुधार करना, गैर-राजस्व पानी को कम करना और घरेलू स्तर पर पानी के भंडारण की जरूरतों को समाप्त करना चाहिए। ओडिशा राज्य ने पहले ही कई शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉमटैप मिशन का नेतृत्व करके और कम आय वाले क्षेत्रों और मलिन बस्तियों को भी कवर करके एक रास्ता दिखाया है। उन्होंने पेशेवर सेवा वितरण के प्रबंधन के लिए एक राज्य स्तरीय उपयोगिता भी स्थापित की है, इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से अलग किया गया है और इसे नीति निर्माण और विनियमन के अन्य दो कार्यों से अलग कर दिया गया है। जल आपूर्ति योजनाओं के लिए स्रोत और प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पीपीपी के मार्ग का उपयोग करने वाले हाइब्रिड सहित प्रबंधन मॉडल का पता लगाया जाना चाहिए, जिससे इसकी सेवाक्षमता और समुदायों द्वारा भुगतान करने की इच्छा बढ़े।
- वर्तमान में, राज्य स्तर और केंद्र सरकार के स्तर पर कई सरकारी योजनाएं हैं जो बड़ी जल सुरक्षा के लिए मौजूदा तालाबों आदि का पुनर्वास करते हुए भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जलग्रहण स्तर या सूक्ष्म जलशीर्ष स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को अपनाया जा सकता है और केंद्र और राज्य दोनों की इन सभी योजनाओं को अभिसरण और बड़े प्रभावों के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी के तहत लाया जाना चाहिए। भूजल पुनर्भरण का दावा करने वाली जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए सामान्य आधार रेखा और अंतिम पंक्ति डेटा रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ डेटा प्रबंधन को केंद्रीकृत किया जाना चाहिए। जल क्षेत्र में नियामक निकायों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जमीन पर काम करने

वाली ढेर सारी एजेंसियां पानी और कार्बन पर अपने पदचिह्नों के साथ पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं।

- शौचालयों के निर्माण के बजाय शौचालयों के उपयोग और उन्हें क्रियाशील बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन नीति बनाएं।
- स्थायी व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए ओडीएफ और ओडीएफ+ और अंत में ओडीएफ++ के लिए स्वच्छ भारत मिशन (SBM) 2.0 के तहत समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता जैसे अभियानों को सुदृढ़ करना जारी रखें।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तकनीकी पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देकर स्वच्छता सुविधाओं के ओ एंड एम के क्षेत्र में पेशेवर सेवा वितरण और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं चलाने पर ध्यान केंद्रित करें। स्थिरता के कुछ मुद्दों को हल करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों के समर्थन से सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- स्वच्छता सुविधाओं और प्रबंधन योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र/ CSR वित्त को अनलॉक करने से स्वच्छता सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए धन जुटाने में मदद मिलनी चाहिए।
- सभी संस्थानों और घरों में साबुन सुविधाओं के साथ हाथ धोने के विकेंद्रीकरण के साथ सुरक्षित हाथ धोने की एक नई सामान्य व्यवस्था का निर्माण सुनिश्चित करें। दिन में कई बार साबुन से सुरक्षित हाथ धोने की सुविधा प्रदान करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हैप्पीटैप जैसे प्रीफैब हाथ धोने वाले स्टेशनों का उपयोग करके इसे तेजी से बढ़ाया जा सकता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन के स्थान पर पुन: प्रयोज्य जीवाणुरोधी कपड़ा आधारित सुरक्षित पैड, मासिक धर्म कप इत्यादि जैसे मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उत्पादों के सुरक्षित विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।
- स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए खाद्य स्वच्छता को राष्ट्रीय एजेंडे में लाया जाना चाहिए और इस पर जागरूकता और अनुसंधान में निवेश किया जाना चाहिए।

सीमित निवेश बच्चों की प्रगति को प्रभावित कर सकता है

1. 2019-20 से 2023-2024 के बीच बच्चों के लिए हस्तक्षेप पर आवंटन कुल केंद्रीय बजट का 3% से घटकर 2.3% हो गया।
2. कोविड-19 महामारी के दौरान आजीविका के नुकसान के कारण कई बच्चों को स्कूल भी छोड़ना पड़ा। हालाँकि, 2022 में 6-14 वर्ष आयु वर्ग में 98.4% नामांकन के साथ स्कूल नामांकन पटरी पर लौट आया है, जबकि 2018 में यह 97.2% था।
3. नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए संपूर्ण शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। हालाँकि, भारत की कम वित्तपोषित, नौकरशाही के बोझ तले दबी और नवाचार-सीमित शिक्षा प्रणाली के कारण यह चुनौतीपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की उल्लेखनीय कमी है।

4. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 2021 डेटा से पता चलता है कि भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,49,404 मामले दर्ज किए गए, जो 2020 में दर्ज मामलों की तुलना में 16% की वृद्धि थी। इनमें से 53,874 मामले POCSO अधिनियम के तहत दर्ज यौन अपराध थे।

सिफारिशें

- बच्चों का डेटा मजबूत करें, विशेष रूप से सबसे कमजोर बच्चों पर: राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों पर डेटा में एक बड़ा अंतर है, विशेष रूप से वे जो कमजोर और/या कठिन परिस्थितियों से आते हैं जैसे कि सड़क पर रहने वाले बच्चे, अनाथ, विक्लांग बच्चे, बाल विवाह, ऐसे बच्चे जो विक्लांग बच्चे हैं। तस्करी और यौन शोषण, बाल श्रम आदि शामिल हैं। नीतियों को समावेशी बनाने और अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए मजबूत निगरानी और समीक्षा तंत्र और प्रणालियों की आवश्यकता है। विश्वसनीय अलग-अलग डेटा और ज्ञान आधार बनाने की आवश्यकता है जो केंद्रित तरीके से वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सके।

- बच्चों पर सार्वजनिक निवेश और पारदर्शिता बढ़ाएँ: विशेष रूप से कोविड-19 के प्रभावों को दूर करने के लिए बच्चों पर केंद्रीय बजट आवंटन (कुल बजट का 6 प्रतिशत तक) और राज्य स्तर पर सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है। हाशिए पर रहने वाले बच्चों को शामिल करना, देश में कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित बच्चों की दर में सुधार करना, नए एनईपी 2020 को उसकी पूरी भावना के साथ लागू करना और सभी बच्चों के लिए अपराध और हिंसा से मुक्त स्वस्थ तरीके से बड़े होने के लिए सुरक्षित वातावरण और स्थान बनाना। समावेशी होने और सभी वर्गों के अधिकारों को पूरा करने के लिए, प्रत्येक योजना में सबसे वंचित श्रेणियों जैसे कि मौसमी प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बच्चे, जबरन बेदखली या विस्थापन का सामना करने वाले समुदायों के बच्चे, के बच्चों के लिए एक विशेष घटक होना चाहिए। यौनकर्मी, एचआईवी/एड्स और खनन से प्रभावित बच्चे, अन्य। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आवधिक रिपोर्ट अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- समावेशी निर्णय लेना: नीति निर्माताओं को अभी भी बच्चों के साथ-साथ व्यापक सामाजिक मुद्दों के विश्लेषण और समाधान प्रदान करने में उनकी एजेंसी को पहचानना बाकी है। ऐसे समय में जब जलवायु संकट पहले से ही बच्चों और युवाओं की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, उन्हें अपनी राय और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मंच और स्थान प्रदान करना आवश्यक है, जो प्रभावी नीति कार्यान्वयन में मदद कर सकता

है। लड़कियों, ट्रांसजेंडर, विकलांग बच्चों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों सहित हाशिए पर रहने वाले लोगों की आवाज़ को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए केंद्रीय बजट देश भर में बाल संसदों की स्थापना के माध्यम से बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बजट का एक प्रतिशत आवंटित कर सकता है।

- बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करें: संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति ने जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देने के साथ बाल अधिकारों और पर्यावरण पर सामान्य टिप्पणी संख्या 26 (सितंबर 2023) पर दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें बच्चों के वर्तमान को सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित किया गया है। और भविष्य में जीवन, स्वास्थ्य और स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के तहत बच्चों के अधिकार सीधे तौर पर उन प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े हैं जो पर्यावरणीय गिरावट, बढ़ते प्रदूषण और जैव विविधता के पतन का भावी पीढ़ी के जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इन वर्तमान और निकट भविष्य के ग्रह संकटों के संदर्भ में बच्चों पर राष्ट्रीय नीति, 2013 की तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए।

- मजबूत समुदाय-आधारित बाल संरक्षण तंत्र और संस्थागत स्थान बनाएं: विभिन्न प्रकार की कमजोरियों को कम करने के लिए, कठिन परिस्थितियों में और/या शोषण, अपराध और हिंसा के प्रति संवेदनशील बच्चों की पहचान करने और उन्हें प्रदान करने के लिए मजबूत समुदाय-आधारित तंत्र और संस्थागत स्थान की आवश्यकता होती है। हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित स्थान। मिशन वात्सल्य के तहत गांव, वार्ड और ब्लॉक स्तर पर बाल संरक्षण समिति जैसी संस्थाएं उन तक संरचित तरीके से पहुंचने में मदद कर सकती हैं।

- हितधारकों के साथ साझेदारी: केंद्र और राज्यों के बीच सक्रिय सहयोग के अलावा, नीतियों, कानूनों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद के लिए निजी संगठनों, नागरिक समाज, मीडिया आदि सहित सभी हितधारकों से एक समन्वित और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। हमारे संविधान और राष्ट्रीय बाल नीति में निहित बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन समाधान खोजना।

- एक स्वास्थ्य वर्धक वातावरण प्रदान करें: बेहतर शिक्षण सामग्री के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता, योग्य और अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, लैंगिक असमानताओं को खत्म करना और छात्रों की भावनात्मक भलाई को संबोधित करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

आदिवासी और दलित लोग अत्याचार के माहौल में जी रहे हैं

- Iपिछले 5 वर्षों में, मैला ढोने से संबंधित मौतों में 339 लोगों की जान चली गई है।
- मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोज़गार योजना (SRMS) का उद्देश्य पूर्व मैनुअल स्कैवेंजर्स को अन्य नौकरियों में मदद करना है। हालाँकि, पिछले तीन वर्षों में इसकी फंडिंग कम हो गई है: रु। 2021 में 110 करोड़ से रु. 2022 में 70 करोड़, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोई आवंटन नहीं।
- गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, एससी/एसटी समुदायों की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध 2017 से 2019 तक 15% बढ़ गए, फिर भी इसी अवधि के दौरान अत्याचार निवारण (पीओए) अधिनियम के तहत सजा की दर केवल थी 26.86%, चिंताजनक रूप से 84.09% मामले लंबित हैं।
- भारत में उच्च व्यय वाले घर (शीर्ष 20%) कम खर्च वाले घरों की तुलना में लगभग सात गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं और जलवायु परिवर्तन, सूखे के कारण हाशिए पर रहने वाले एससी और एसटी समुदायों, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों और हाशिए पर रहने वाली जातियों के गरीब किसानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
- भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का पालन करते हुए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने बहुत प्रासंगिक रूप से स्वीकार किया है कि तथाकथित 'हरित अर्थव्यवस्था' में जो नौकरियां पैदा होने की संभावना है, वे पारंपरिक उद्योगों की तुलना में कौशल और प्रौद्योगिकी-गहन की ओर झुकी हुई हैं, जो कि पारंपरिक उद्योगों में लगे समुदायों को हाशिये पर धकेल दिया गया है।
- 2023-24 में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं (हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय तटीय मिशन, फसल बीमा योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन) में एससी समुदायों के लिए बजट आवंटन या तो वही रहा है या मामूली वृद्धि को छोड़कर कम हो गया है। कृषि विकास योजना में.

सिफारिशें

- मैला ढोने की प्रथा में लगे व्यक्तियों की पहचान करें और सरकारी कार्यक्रमों और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुँचने में उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करें।
- उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लोगों को मैला ढोने के काम में लगाते हैं।
- 2013 योजना के तहत पुनर्वास अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें मैन्युअल मैला ढोने में लगे व्यक्तियों के बच्चों को वैकल्पिक आजीविका विकल्प, वित्तीय सहायता, आवास और शिक्षा सहायता शामिल है।
- आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी की शुरूआत और समुदाय के सदस्यों को इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- शुष्क शौचालयों और मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना। भारतीय रेलवे को रेल डिब्बों में बायो-टॉयलेट लगाकर मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करना चाहिए।

- स्वच्छता कार्य के दौरान मल के साथ सभी सीधे मानव संपर्क को समाप्त करना।
- मैला ढोने के काम में लगे व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की पुष्टि करना।
- अत्याचारों की रोकथाम हेतु धारा 15ए (अधिकार एवं पीड़ित एवं गवाह), नियम 8 (एससी/एसटी सुरक्षा सेल की स्थापना) का उचित कार्यान्वयन।
- स्थिति की निगरानी और पीओए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य/जिला और ब्लॉक-स्तरीय निगरानी और सतर्कता समितियों की नियमित बैठकें।
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रवासी योजना, छात्रावास और कौशल विकास योजनाओं जैसी प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के लिए बजट बढ़ाएं और प्राप्तकर्ताओं को समय पर नकदी का वितरण करें।
- गैर-नियमित स्कूली शिक्षा वाले छात्रों को अकादमिक रूप से सक्षम करने के लिए विशेष निर्देश, उपचारात्मक कक्षाएं, शाम की कक्षाएं, अतिरिक्त कक्षाएं और ब्रिज कोर्स का प्रावधान करने के लिए बजट बढ़ाएं।
- दलित बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने के लिए अनुसूचित जाति शिक्षकों की भर्ती और गैर-अनुसूचित जाति शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। एनएपीसीसी मिशनों को लागू करने और निगरानी करने में इन समुदायों के एससी, एसटी और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को पहचानें। जाति-जातीयता-लिंग अंतरसंबंध के कारण जलवायु संबंधी कमज़ोरियाँ इन समुदायों और समूहों पर अलग-अलग प्रभाव डालती हैं।
- इसे न्यायसंगत बनाते हुए क्रमशः जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन नीति और कानून बनाएं
- NAPCC मिशनों और योजनाओं को सूचित करने के लिए सरकारी डेटा बिंदुओं से एससी और एसटी आबादी के लिए मानव विकास और अभावों पर जनसांख्यिकीय डेटा का उपयोग करें।
- एससी और एसटी के लिए विकास कार्य योजनाओं (DAPSC-DAPST) के तहत एससी-एसटी के लिए आनुपातिक आवंटन के साथ केंद्रीय जलवायु बजट स्थापित करें जैसा कि बिहार और ओडिशा आदि सरकारों द्वारा किया जा रहा है।
- क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों और जलवायु जोखिमों के जोखिम पर विचार करते हुए, एससी और एसटी आबादी, लिंग बजट और बाल बजट के अनुपात में DAPSC-DAPST के तहत जलवायु कार्यों के लिए बजट बढ़ाएं।
- भूमि आवंटन, आपदा राहत मानदंडों और वैकल्पिक स्थानीय और स्थिर आजीविका और आय सृजन पहल के लिए मौजूदा और नई योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत भूमिहीन, वास रहित और बटाईदारों के नुकसान को पहचानने के लिए नीति और कार्यक्रम संबंधी उपाय पेश करें।
- ऐसे पैकेजों की कल्पना और कार्यान्वयन के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए एक विशेष प्राधिकर और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय ण का गठन करें, जहां कार्यान्वयन प्रशासन और वित्त दोनों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार एससी-एसटी तक तत्काल, चालू और पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

सरकार अतीत से जुड़ी हुई है (LGBT*QIA)

1. स्माइल अम्ब्रेला योजना ने 365 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ 9 राज्यों में 12 गरिमा गृह स्थापित किए हैं। इन प्रयासों के बावजूद, फंडिंग में देरी एक लगातार मुद्दा रही है, जैसे कि दिल्ली में गरिमा गृह के लिए फंडिंग में 11 महीने की देरी। यह वित्तीय चुनौती ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समर्थन के लिए डिज़ाइन किए गए इन आश्रय घरों के प्रभावी संचालन में बाधा डालती है।

2. गरिमा गृह न्यूनतम 3 महीने के प्रवास और रोजगार पर प्रतिबंध जैसे नियमों को लागू करते हैं ये ट्रांस महिलाओं को प्रभावित करते हैं जो आय के लिए ऐसे काम पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, ये आश्रय स्थल ट्रांस व्यक्तियों के सीआईएस-पहचान वाले समलैंगिक भागीदारों को समायोजित नहीं करते हैं जिससे संकट के दौरान अलगाव होता है विशेष रूप से होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक हिंसा से शरण लेने वाले जोड़ों के लिए।

3. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च के बावजूद, ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड जारी करने में काफी देरी और अस्वीकृतियां हो रही हैं। 20 जून, 2022 तक, 22% आवेदन लंबित हैं और 13% को 'अपात्र' घोषित किया गया है।

4. अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक और पंजाब सहित कई राज्यों ने एक भी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि नौकरशाही प्रक्रियाएं इन प्रमाणपत्रों को कुशलतापूर्वक जारी करने में बाधा डालती हैं जिससे ट्रांस व्यक्तियों को अपनी आईडी और ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्रों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।

5. ट्रांस एक्ट 2019, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की रक्षा करना है, केवल उन लोगों को लाभ पहुंचाता है जो लिंग सकारात्मक सर्जरी से गुजरते हैं, जो आत्मनिर्णय को मान्यता देने वाले NALSA 2014 के फैसले का खंडन करता है। इसमें गैर-बाइनरी, लिंग-तरल और लिंग गैर-अनुरूपता वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिनके पास लिंग-पुष्टि करने वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं है।

6. 2018 NCHR रिपोर्ट ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बीच 96% बेरोजगारी दर का संकेत देती है लेकिन उनके रोजगार की स्थिति पर कोई हालिया डेटा उपलब्ध नहीं है।

7. भारत सरकार धार्मिक मूल्यों और व्यापक सामाजिक हितों का हवाला देते हुए चल रही LGBTQ+ याचिकाओं में विवाह समानता का विरोध करती है। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि विवाह विभिन्न संवैधानिक अधिकारों का प्रवेश द्वार है जो इसे केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा बनाता है।

8. भारत ने उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया जिसमें वर्ष 2019 और 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में LGBTQ अधिकारों की सुरक्षा की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ के जनादेश को नवीनीकृत किया गया था।

सिफारिशें

- NALSA के फैसले को बरकरार रखने के लिए ट्रांस* अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए जो ट्रांसजेंडर* व्यक्तियों को अपना लिंग स्वयं निर्धारित करने के अधिकार को मान्यता देता है।

- सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणियों के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान।

- न केवल बाइनरी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बल्कि सभी प्रकार के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त लिंग-सकारात्मक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना।

- न केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बल्कि एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के सभी व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह तैयार करें। गरिमा गृहों के पुन: प्रारूप नियमों को अधिक समावेशी बनाया जाए।

- सिसजेंडर लेस्बियन, समलैंगिक और उभयलिंगी व्यक्तियों सहित सभी LGBTQ+ की सुरक्षा सुनिश्चित करें और पहचानें कि उन्हें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और यह सुनिश्चित करने पर भी विचार कर सकती है कि शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों में समलैंगिक व्यक्तियों के भेदभाव के खिलाफ सख्त नीतियां हों।

विक्लांग व्यक्तियों को अदृश्य करना

1. 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अनुमानित 3 करोड़ विकलांग व्यक्तियों में से 1.3 करोड़ रोजगार योग्य हैं। हालाँकि, उनमें से केवल 34 लाख (26%) ही कार्यरत हैं।2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्तियों में से 36% कार्यरत थे।

2. 2021-22 में, भारत में 14,89,115 स्कूल थे जिनमें 26,52,35,830 छात्र थे लेकिन केवल 0.84% (22,40,356) विकलांग छात्र थे।

3. सुगम्य भारत अभियान जैसे कानूनी ढांचे के बावजूद सुलभ शौचालय, दिव्यांग अनुकूल पेयजल सुविधाएं और रैंप जैसी विकलांगता-अनुकूल बुनियादी ढांचे का अनुपालन कम है। 2021-22 में, केवल 25.7% स्कूलों में कार्यात्मक CWSN/विकलांग बच्चों के शौचालय होने की सूचना मिली जबकि उनमें से केवल 71.8% ने रैंप होने की सूचना दी।

4. विकलांगता से संबंधित प्रश्नों के छूट जाने के परिणामस्वरूप NFHS-5 के अनुसार केवल 1% नागरिकों को PwD के रूप में वर्गीकृत किया गया, जबकि 2011 की जनगणना में, विकलांग आबादी 2.21% तक थी।

5. भले ही विक्लांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 में 21 विकलांगताओं को निर्दिष्ट करता है उन विकलांगताओं के बारे में कोई प्रश्न राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 6 में शामिल नहीं किया गया था।

6. बजट में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के लिए आवंटन कुल बजट का मात्र 0.027% है, SIPDA योजना1 के लिए वित्त पोषण में 37% की गिरावट आई है जिसके माध्यम से राज्य सरकारों को वित्त पोषण के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम विकलांग व्यक्तियों की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने और वेतन रोजगार के लिए उनके कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

सिफारिशें

- विशेष स्कूल' और 'घर-आधारित शिक्षा' जिन्हें अलग-अलग कानूनों में एक-एक लाइन पर छोड़ दिया गया है, उन्हें पर्याप्त कार्यान्वयन के लिए दोनों कानूनों में परिभाषित और क्रॉस-रेफ़रेंस की आवश्यकता है।
- शिक्षा के सभी स्थलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, व्यक्तिगत समर्थन और उचित आवास का प्रावधान और संचार के पसंदीदा साधनों और तरीकों में शिक्षण और सीखने की आवश्यकता है।

- शिक्षा की इन सभी साइटों की स्थिति पर नियमित ऑडिट की एक प्रणाली लागू की जानी चाहिए और जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

- लक्षित नीति सुधारों के लिए विकलांगता पर अलग-अलग डेटा पर ध्यान देने के साथ-साथ डेटा के सख्त संग्रह की आवश्यकता है।

- विकलांगता समावेशन के दृष्टिकोण से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पूरी व्यापकता का ऑडिट किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं: (ए) कागजी कार्रवाई और नुस्खे की पहुंच; (बी) क्या उचित आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं; (सी) क्या भौतिक बुनियादी ढांचा विकलांगों के अनुकूल है।

- जिला स्तर पर तकनीकी व्यक्तियों जैसे सांकेतिक भाषा दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और अन्य विकलांगता पेशेवरों का एक नेटवर्क बनाया जाना चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ा जाना चाहिए।

- इसके अलावा, उन स्वास्थ्य कर्मियों को विकलांगता संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिन्हें किसी स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम को संचालित करने या संबंधित सेवाएं प्रदान करने का काम सौंपा गया है।

- एक जवाबदेही और निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में उल्लिखित पहुंच मानदंडों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

- विकलांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में सहायक प्रौद्योगिकी पर बीमा को एकीकृत करते समय अन्य व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त या किफायती स्वास्थ्य देखभाल और बीमा सेवाओं की समान श्रेणी, गुणवत्ता और मानक प्रदान की जानी चाहिए।

नफरत करो, धमकी दो, मार डालो - दस साल के अच्छे दिन में ईसाइयों की आशंकाओं का चित्रण

1. 2012 से 2022 के बीच 11 वर्षों में दर्ज की गई घटनाओं की संख्या चार गुना बढ़ गई है। पहली बड़ी छलांग 2016 में थी, जब ईएफआई रिपोर्ट में 247 घटनाओं का विवरण दिया गया था। अगले कुछ वर्षों में यह संख्या बढ़ती रही। अगली छलांग 2021 में थी, जिसमें 505 घटनाएं दर्ज की गईं। 2022 में यह बढ़कर 599 हो गया।

2. 2023 के पहले नौ महीनों में भारत में ईसाइयों के खिलाफ 539 हमले हुए हैं। इस साल संभवतः 2022 और 2021 में हिंसा के रिकॉर्ड को पार कर जाएगा।

3. भारत में तेरह जिलों में ईसाइयों के लिए खतरा बढ़ रहा है, जिसमें बस्तर 51 घटनाओं के साथ सूची में शीर्ष पर है, इसके बाद कोंडागांव और आज़मगढ़ में 14-14 घटनाएं हैं। 211 घटनाओं के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद 118 घटनाओं के साथ छत्तीसगढ़ और 39 घटनाओं के साथ हरियाणा है। ईसाइयों के खिलाफ अपराध अक्सर कम रिपोर्ट किए जाते हैं क्योंकि पुलिस आपराधिक शिकायतें दर्ज करने में अनिच्छा प्रदर्शित करती है।

4. अपनी धार्मिक आदतों से पहचानी जाने वाली कैथोलिक ननों को अक्सर भारत में ईसाई समुदाय को शर्मिंदा करने और डराने के लिए जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। इसमें जबरन धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाना और उन्हें परेशान करने, हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने के लिए राज्य मशीनरी, विशेष रूप से पुलिस का उपयोग करना शामिल है।

5. मणिपुर में 2 महीने की अनियंत्रित हिंसा के बाद, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें निम्नलिखित बातें बताई गईं: 142 मौतें (ज्यादातर अल्पसंख्यक ईसाई), 5,053 आगजनी के पंजीकृत मामले, और लगभग 54,500 लोगों का विस्थापन, जिनमें से अधिकांश जीवित हैं राहत शिविरों में हिंसा में विभिन्न संप्रदायों से संबंधित 249 चर्च नष्ट कर दिए गए, जिनमें से अधिकांश बैपटिस्ट और प्रेस्बिटेरियन थे।

भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए शासन के परिणाम: पांच साल की समीक्षा

1. धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए छह शैक्षिक योजनाओं पर सरकारी खर्च में लगभग 12.5% की कमी आई, जिससे दो प्रमुख कार्यक्रम-नया सवेरा और बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति प्रभावित हुई। अगस्त 2023 में, कक्षा I-VIII के लिए अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, जिससे छह धार्मिक अल्पसंख्यकों के 57 लाख लाभार्थियों में से दो-तिहाई, मुख्य रूप से मुस्लिम छात्र प्रभावित हुए।

2. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों का नामांकन 2.10 मिलियन था। हालाँकि, 2020-21 में 0.18 मिलियन छात्रों की गिरावट हुई, जो 9.52% की कमी है। मुस्लिम छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की संख्या में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है, जो 2019-20 में 572,341 से घटकर अगले वर्ष 500,785 हो गई यानी 72 हजार छात्रों की गिरावट।

3. देश भर के अल्पसंख्यक स्कूलों में नामांकित छात्रों में से 60% से अधिक गैर-अल्पसंख्यक छात्र हैं और कुल अल्पसंख्यक छात्रों में से केवल 8% ही वास्तव में अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ते हैं। फिर भी, गैर-अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से आरटीई अधिनियम कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों को इसके दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4. 2010 में, नेशनल काउंसिल फॉर इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में पाया गया कि 31% मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। 2013 में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एक संगठन द्वारा किए गए एक अन्य सर्वेक्षण में मुसलमानों को भारत में सबसे गरीब धार्मिक समूह पाया गया था। मुस्लिम नुकसान की व्यापक मान्यता के बावजूद, उनके हित में सुरक्षात्मक नीतियों और प्रभावी राजनीतिक लामबंदी का अभाव है।

5. अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक एजेंसी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC) ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए आवंटन में लगभग 75% की कमी का अनुभव किया। यह केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए राजकोषीय समर्थन की महत्वपूर्ण वापसी का संकेत देता है।

6. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं की कड़ी आलोचना की, जब 812 पीड़ितों के साथ 512 दंगों के मामले थे। 2019 में ये आंकड़े घटकर 440 घटनाएं और 593 पीड़ित रह गए लेकिन 2020 में तेजी से बढ़कर 857 मामले और 1,065 पीड़ित हो गए। 2010 से 2017 तक, गौरक्षक हिंसा में मारे गए लोगों में से 86% मुस्लिम थे इनमें से 97% घटनाएं 2014 के बाद हुईं।

सिफारिशे

- अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं को अनुकूल नीतियों और उचित वित्तीय सहायता द्वारा मजबूत किया जाना चाहिए।

- अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का बजट अनुसूचित जाति के बराबर किया जाना चाहिए जो जनसांख्यिकीय विशेषताओं में लगभग पूर्व के समान हों।

- सांप्रदायिक भेदभाव और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए संसद द्वारा कानून पारित किया जाना चाहिए।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए।

- अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए उनके युवाओं को कुशल बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आसान बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए उचित योजनाएं अपनाई और क्रियान्वित की जानी चाहिए।

- सरकार और नागरिक समाज संगठनों को समाज में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
- सच्चर समिति की छूटी हुई सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए जैसे कि अल्पसंख्यकों पर डेटाबैंक की स्थापना और देश में विविधता को बढ़ावा देना।

शहरी गरीबों के सीमांतीकरण का सतत-अंतहीन झटका

1. 2011-12 में विभिन्न पद्धतियों के आधार पर भारत में शहरी गरीबी दर 13.7% से 26.4% के बीच थी। 2017-18 का उपभोग सर्वेक्ण डेटा, हालांकि अनौपचारिक है, ने गरीबी की स्थिति बिगड़ेगी ऐसा संभावित सुझाव दिया।

2. DAY-NULM योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रति वर्ष 2.6 लाख व्यक्तियों से घटकर 0.33 लाख हो गया लेकिन दूसरे कार्यकाल में प्लेसमेंट दर 36% से बढ़कर 53% हो गई।

4. दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में 3700 से अधिक आश्रय गृहों की आवश्यकता है लेकिन 15 दिसंबर, 2022 तक केवल 1788 ही कार्यशील हैं, जिसमें महामारी के दौरान और उसके बाद बेघरों को राहत कार्यक्रमों से काफी हद तक बाहर कर दिया गया है।

5. पीएम आवास योजना का किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) घटक ने ढाई साल में 450 मिलियन की कुल मान्यता प्राप्त प्रवासी आबादी के लिए 6000 से कम आवासीय इकाइयाँ बनाईं और मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में प्रवासी श्रमिकों की लगातार आमद बढ़ती गई।

6. सभी वन नेशन वन राशन कार्ड लेनदेन का 70% दिल्ली में हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के कम उपयोग से जागरूकता की कमी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलताओं और पोर्टेबिलिटी प्रबंधन के लिए अपर्याप्त बैकएंड सिस्टम जैसे मुद्दों का पता चलता है।

सिफारिशें

- शहरी गरीबी की बहुआयामीता को पहचानना: रोजगार और आय के अलावा, शहरी गरीबी विभिन्न अन्य प्रकार के अभावों से जुड़ी हुई है - आवास की कमी, बुनियादी सेवाएं (पानी, स्वच्छता), बुनियादी ढांचा (स्वास्थ्य, शिक्षा) और सामाजिक सुरक्षा। इस प्रकार, शहरी गरीबी के इन सभी आयामों को एक साथ निपटाने की जरूरत है।
- शहरी हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सदमे से प्रतिक्रियाशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर बढ़ना: जहां महामारी ने पूरे समाज को प्रभावित किया, वहीं इसका शहरी हाशिए पर पड़े जिन समुदायों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा वे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतू जनजाति, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, विक्लांग व्यक्ति, बेघर, प्रवासी, शरणार्थी। महामारी ने एक सदमे से प्रतिक्रियाशील सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर बढ़ने की तत्काल आवश्यकता का प्रदर्शन किया है जो व्यक्तियों की जरूरतों को उनके पूरे जीवन-चक्र में संबोधित करती है।
- सभी के लिए खाद्य सुरक्षा: अल्पावधि में ONORC योजना के प्रावधानों को अधिक प्रचारित किया जाना चाहिए और राशन डीलरों को योजना के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। दीर्घावधि में, पीडीएस के सार्वभौमिकरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
- NULM-SUH के तहत बेघरों के लिए अधिक संसाधनों के आवंटन और एक कार्य योजना के विकास: NULM-SUH कार्यक्रम के तहत आश्रय गृहों के निर्माण को बढ़ाने के लिए बजटीय संसाधनों के संदर्भ में अधिक आवंटन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, बेघरों की संबद्ध जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-आश्रय गृह आधारित हस्तक्षेपों का पता लगाया जाना चाहिए।

- आश्रय गृहों के निवासियों को सरकारी योजनाओं की सुविधा: आश्रयों के निवासियों को जन धन योजना,आधार पहचान, कौशल भारत के तहत प्रशिक्षण, श्रम कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पेंशन योजनाओं तक पहुंचने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 (ISMW Act) के तहत सुरक्षा का प्रभावी कार्यान्वयन: इस कानून के तहत नियमों और विनियमों को लागू किया जाना चाहिए और इस अधिनियम की समीक्षा प्रवासी श्रमिकों, श्रमिक संघों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि निकायों के परामर्श से की जानी चाहिए।
- शहरी किरायेदार आवास योजना का त्वरित कार्यान्वयन: PMAY(U) के तहत किरायेदार आवास घटक (ARHC) के कार्यान्वयन में तेजी लाई जानी चाहिए और योजना के लिए भूमि के अधिक आवंटन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
- यूएन शरणार्थी सम्मेलन 1951 के अनुसमर्थन: भारत सरकार को शरणार्थियों पर 1951 के सम्मेलन और 1967 के वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि करनी चाहिए।1.

महिलाओं के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता

- 1. महिलाओं का अघोषित देखभाल कार्य संभावित रूप से भारत के कुल जीडीपी का लगभग 7.5% है।
- 2. भारत में बचपन में विवाह करने वाली लड़कियों की कुल संख्या सबसे अधिक है - उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक बाल वधुएं हैं।
- 3. 15-60 वर्ष की आयु की महिलाएं प्रतिदिन अघोषित देखभाल कार्य में 7.2 घंटे समर्पित करती हैं जबकि पुरुष 2.8 घंटे खर्च करते हैं। हालाँकि, देखभाल के बुनियादी ढांचे, जैसे प्री-प्राइमरी शिक्षा और बाल देखभाल पर सार्वजनिक खर्च जीडीपी का 1% से कम है।
- 4. भारतीय महिलाओं के मोबाइल फ़ोन रखने की संभावना पुरुषों की तुलना में 15% कम है और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की संभावना 33% कम है जिससे गिग इकॉनमी के उदय के साथ आर्थिक बहिष्कार भी होता है।
- 5. लैंगिक डिजिटल विभाजन और इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में केवल 33.3% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है महिला अनौपचारिक श्रमिकों को कम सामाजिक सुरक्षा के वादे से बाहर रखा जाना जारी है।
- 6. वर्तमान में, लोकसभा सांसदों में 15% और राज्यसभा सांसदों में 13% महिलाएं हैं, जो महिला सांसदों के 26.5% के वैश्विक औसत से कम है, और नेपाल (34%), बांग्लादेश (21%), पाकिस्तान (21%) और भूटान (17%) सहित दक्षिण एशियाई पड़ोसियों की तुलना में भी कम है।
- 7. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) 5 के आंकड़ों से पता चलता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर लड़कियों में लड़कों की तुलना में 8.3% अधिक है और कुपोषण एक महत्वपूर्ण योगदान कारक है।
- 8. 2021 NCRB के आंकड़ों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी का पता चलता है - अपराधों पर नियंत्रण कार्यान्वयन के लिए आवंटन पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2022-2023) में 600 करोड़ रुपये से घटाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है और दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए केवल 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सिफारिशें

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और अवैतनिक देखभाल कार्य के बोझ को देखते हुए महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर क्रेच सुविधाओं और POSH अधिनियम पर संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने जैसे निवारक और सुरक्षात्मक उपायों के तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता है ताकि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

- निर्भया फंड के इष्टतम उपयोग के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ निवारण प्रणाली को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए। सभी प्रथम-उत्तरदायी सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मियों के लिंग संवेदनशीलता के लिए मिशन शक्ति के तहत एक फंड शामिल किया जाना चाहिए।

- महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में देखना और स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय और सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ तालमेल बनाना महत्वपूर्ण है। निर्भया फंड के तहत स्पष्ट आवंटन के साथ गोपनीय हेल्पलाइन, परामर्श, सुरक्षित आश्रय, वन-स्टॉप केंद्र (अस्पतालों से जुड़े), मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी सहायता 24/7 प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप केंद्रों पर सहायता सेवाओं की एक श्रृंखला उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ट्रांसजेंडर महिलाएं, विकलांग महिलाएं, प्रवासी या बेघर महिलाएं विशेष रूप से कमजोर हैं, और उनकी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है।

- लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियों के लिए आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के साथ-साथ सीमांतकृत समुदायों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए बजट आवंटन और व्यय को फिर से शुरू करना आवश्यक होगा।

- NEP 2020 में परिकल्पित नींव से माध्यमिक स्तर तक स्कूलों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए आवंटन में वृद्धि हो। यह लैंगिक डिजिटल असमानता को देखते हुए सार्वभौमिक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।

- घरेलू श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कानून की तत्काल आवश्यकता - "कार्यस्थलों" को परिभाषित करना, नियोक्ता की जिम्मेदारियों को संहिताबद्ध करना, कार्यस्थल दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा आदि। राष्ट्रीय और दिल्ली स्तर पर मसौदा विधेयक प्रस्तावित किए गए हैं हालांकि अभी तक नहीं अपनाए गए हैं - वर्तमान ड्राफ्ट में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों को शामिल करने की आवश्यकता है।

- घरेलू श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के गहन विश्लेषण के लिए बड़े पैमाने पर, बहु-केंद्रित और अनुदैर्ध्य अध्ययन। घरेलू श्रमिकों को भी कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

- विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित एक शहरी रोजगार गारंटी योजना तैयार और तत्काल लागू की जानी चाहिए। लोक निर्माण विभागों में महिलाओं के लिए अधिमान्य रोजगार संबंधी प्रावधानों पर भी विचार किया जा सकता है।

- सार्वभौमिक पीडीएस का कार्यान्वयन करें और महिलाओं को घरेलू खाद्य सुरक्षा से वंचित न होने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए बजट समर्थन बढ़ाएं।

- सरकारी अस्पतालों में गर्भपात सेवाओं तक पहुंच को इस तरह से बेहतर बनाने की जरूरत है जहां महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात का विकल्प न चुनना पड़े।

राष्ट्र निर्माण में युवाओं को समान भागीदार के रूप में महत्व देना

- 1. 2021 के एक अध्ययन में पाया गया कि 20% युवाओं ने आत्मघाती विचारों की सूचना दी है और लगभग आधे लोगों ने अच्छी तरह से रहने की भावना कम होने का दावा किया है।

- 2. राष्ट्रीय युवा नीति 2021 में सामाजिक जुड़ाव के बहुत कम रास्ते सुझाए गए हैं और राजनीतिक जुड़ाव के लिए शायद ही कोई रास्ता है जो विश्वविद्यालयों या स्थानीय सरकारों या व्यापार संघों जैसे संस्थानों के पैतृक दृष्टिकोण से स्वतंत्र हैं।

- 3. हालांकि राष्ट्रीय युवा नीति 2021 में धीरे-धीरे सुधर रहे रोजगार परिदृश्य को दर्शाने के लिए आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण पर चर्चा की गई है लेकिन यह उसी डेटा के महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी करता है कि युवाओं के लिए बेरोजगारी दर लगातार समग्र बेरोजगारी दर से तीन गुना अधिक रही है।

- 4. युवाओं के लिए श्रम भागीदारी संकेतकों में लगातार गिरावट आई है, जो 2016-17 में 29.4% से घटकर 2022-23 में 18.1% हो गई है, साथ ही बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है, खासकर कोविद-19 महामारी के बाद।

- 5. युवा और खेल मंत्रालय के बजटेड व्यय का 70% से अधिक लगातार खेलों पर खर्च किया गया है जबकि नोडल निकाय की युवा नीति और युवा केंद्रित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए होने वाले युवा कार्य विभाग के लिए बहुत कम हिस्सा आवंटित किया जाता है।

सिफारिशें

- राष्ट्रीय युवा नीति के मसौदे को संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों पर आधारित ढांचा शामिल करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए न कि कनिष्ठ भागीदार, और उन्हें शासन संरचनाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जो कि सरकार के तीसरे स्तर से शुरू होता है जैसे कि पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय।

- विभिन्न भौगोलिक और समुदायों में युवा भारत, विशेषकर महिला, ट्रांसजेंडर, लिंग अल्पसंख्यक और युवाओं के भीतर कई हाशिए पर पड़े उप-समूहों को डिजिटल और आर्थिक विभाज को पाटने के लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। NYP 2021 के लिए विभिन्न विभागों के साथ-साथ आखिरी कनेक्टिविटी बनाने की योजना बनाना महत्वपूर्ण है जिसमें युवाओं को जोड़ने के साथ-साथ भारतीय को डिजिटल रूप से समावेशी बनाने की दिशा में काम किया जाए।

- विभागों के बीच अभिसरण का निर्माण करना और राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (RYSK) के लिए परिणाम ढांचे के साथ एक व्यापक योजना तैयार करना महत्वपूर्ण है।

- महामारी और डिजिटल इंडिया के बाद - सिर्फ परामर्श जैसे उपचारात्मक उपायों के रूप में नहीं बल्कि लचीलापन और एजेंसी जैसे निवारक उपायों के रूप में भी - कल्याण एक प्रमुख अनिवार्यता है। यह वह जगह है जहाँ NYKS और NSS से जुड़े सभी युवा क्लब, संघ/एजेंसियां युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण के बारे में जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित कर रही हैं और उनके व्यक्तित्व विकास के एक भाग के रूप में MoYAS द्वारा NYKS/NSS के माध्यम से कई संस्थागत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि युवा आबादी को उन

सेवाओं और कार्यक्रमों तक पहुंच सक्षम किया जा सके जो उन्हें सामाजिक-मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के लिए लचीला और कुशल बनाते हैं।

- बढ़ते बाजार के अवसरों में युवाओं के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और क्षमता निर्माण संस्थानों तक सस्ती और समावेशी पहुंच के साथ-साथ उद्यमशीलता शिक्षा को बढ़ावा देने और संस्थागत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही, युवाओं के लिए रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता का निर्माण सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से संबोधित किए जाने वाली एक प्रमुख चुनौती है जिससे सरकार को सुनियोजित ढंग से निपटना चाहिए।

किसानों का संकट दूर करना रेवड़ी संस्कृति नहीं है

1. पिछले 25 वर्षों में, उत्पादन की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है - बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल और बड़े निजी कृषि-कॉरपोरेट द्वारा नियंत्रित अन्य कृषि इनपुट की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण 10% की वार्षिक मुद्रास्फीति हुई है, लेकिन खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सालाना आधे से भी कम दर से बढ़ा है जिससे कृषि आय में लगातार गिरावट आई है।

2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में एक औसत कृषि परिवार की आय के बराबर 60 प्रतिशत ऋण है और इसमें कहा गया है कि भारत में 50 प्रतिशत कृषि परिवार ऋण में हैं।
3. ऑल इंडिया डेट एंड इंवेस्टमेंट सर्वे, 2019 से पता चलता है कि 44 प्रतिशत कृषि परिवार गैर-संस्थागत (अनौपचारिक) स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं जो 25 प्रतिशत तक की अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं।
4. श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, पुरुष कृषि मजदूरों की वास्तविक मजदूरी 2014-15 से 2021-22 के बीच प्रति वर्ष 0.8 प्रतिशत से कम बढ़ी।

5. 2017 से 2021 के बीच, कृषि क्षेत्र में लगे लगभग 53,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 2021 में हर दिन 15 किसानों और 15 कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की, जो भारत में कुल आत्महत्याओं का लगभग 7 प्रतिशत है।

सिफारिशें

- कृषि नीति निर्माण की प्रक्रिया में किसानों और कृषि मजदूरों के संघों से परामर्श किया जाना चाहिए और उन्हें हितधारक बनाया जाना चाहिए। केवल बड़े निगमों से परामर्श करने और कृषि नीति टास्क फोर्स में बड़े व्यवसायों को शामिल करने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।

- सभी फसलों के लिए MSP की गारंटी देकर किसानों की आय में वृद्धि की जानी चाहिए जो किसानों को पूंजी की सभी इनपुट लागतों और भूमि पर किराए को कवर करने के बाद कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न देता है।

- श्रम-प्रधान औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जाना चाहिए।

- इनपुट कीमतों को विनियमित किया जाना चाहिए जो कि कृषि ऋण के प्रमुख कारण हैं। कृषि ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए विनियमन और सरकारी समर्थन को मजबूत किया जाना चाहिए और ग्रामीण भारत में निजी साहूकारों के कठोर प्रथाओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

- भूमि सुधारों को फिर से शुरू किया जाना चाहिए और अधिकतम सीमा भूमि को भूमिहीन किसानों को दिया जाना चाहिए।

- ग्रामीण न्यूनतम मजदूरी जो कि स्थिर है को बढ़ाया जाना चाहिए और रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जाना चाहिए।

बुनियादी ढांचा विकास पर सार्वजनिक व्यय: केंद्रीय बजट का मूल्यांकन

- 1. पिछले दो वर्षों में केंद्रीय बजट का कुल आकार, जीडीपी के सापेक्ष, कम हुआ है। 2023-24 में, जीडीपी का 14.9% होने का अनुमान है जबकि COVID-19 महामारी के दौरान यह 2020-21 में 17.7% और 2021-22 में 16% तक पहुंच गया।

- 2. केंद्र सरकार की बजटीय प्राथमिकताओं को देखते हुए, भौतिक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रमों जैसे पीएम ग्राम सड़क योजना, शहरी कायाकल्प मिशन जिसमें अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन, सड़क कार्य और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिक आवंटन दिया गया था।

- 3. हाल के वर्षों में, कुल केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय का अनुपात घट गया है। राजस्व व्यय में इस कमी ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के खर्च पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसमें MGNREGA जैसे कार्यक्रम और शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं।

- 4. कृषि आय दोगुनी करने और रोजगार पैदा करने के चुनावी वादे पर बजट में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटन, जो आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का समर्थन करते हैं, में केवल मामूली वृद्धि हुई है। इसके अलावा, महामारी के बाद ग्रामीण बेरोजगारी के मद्देनजर MGNREGA के लिए बजटीय आवंटन 2020-21 में 1,11,500 करोड़ रुपये से घटकर 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपये हो गया।

- 5. पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजट आवंटन पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और हाशिए पर पड़े समूहों जैसे अनुसूचित जाति, जनजातीय समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए निवेश की उपेक्षा की गई है।

- 6. व्यापक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बजट, जैसे कि वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम, स्वास्थ्य पहल और पीएम पोषण शक्ति निर्माण जैसे कार्यक्रमों में भव्य घोषणाओं के बावजूद पर्याप्त वित्त का अभाव है। इसके अतिरिक्त, मिड-डे मील योजना जिसे अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण नाम दिया गया है में धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है जो महामारी के दौरान बाल प्रतिधारण दर और पोषण को प्रभावित करती है।

डिजिटल चौराहे पर नेविगेट करना: 2023 में भारत की डेटा गवर्नेंस दुविधा

- 1. डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ने गोपनीयता के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है यह सरकारी एजेंसियों को व्यापक छूट प्रदान करता है। डेटा प्रोसेसिंग और साझा करने से संबंधित मामलों पर स्पष्टता की कमी है और इसका सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के वर्तमान स्वरूप को कमजोर करने का प्रभाव पड़ता है।

- 2. डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, जिसे इंटरनेट नियामक ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है, का उद्देश्य उपयोगकर्ता सुरक्षा को बढ़ाना और गलत सूचना, साइबरबुली और पहचान की चोरी जैसी समस्याओं से निपटना है। हालांकि, यह संभावित सरकारी निगरानी और गोपनीयता चिंताओं पर आलोचना का सामना करता है। इसके अलावा, खासकर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) के लिए यह अनुपालन में कठिनाइयों को प्रस्तुत करता है।

- 3. 2021 में, भारत की फ्रीडम हाउस रेटिंग 'फ्री' से 'पार्टली फ्री' में बदल गई जिसका कारण सरकार की सत्तावादी कार्रवाई थी जिसमें 2002 के दंगों के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की सेंसरशिप, ट्विटर पर आलोचनात्मक सामग्री को हटाने के लिए राज्य का दबाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरे शामिल थे।

- 4. 2022 टेलीकॉम बिल ने कई चिंताओं को जन्म दिया है जिसमें औपनिवेशिक काल की नीतियों की याद दिलाने वाला इसका पुराना ढांचा, विभिन्न ऐप्स को संचालित करने के लिए सरकारी लाइसेंस का जनादेश, प्रभावी निगरानी के बिना केंद्रीकृत निगरानी शक्तियों का प्रतिधारण और इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति शामिल है।

- 5. भारत में, सिर्फ 2023 में, इंटरनेट सेवाओं को 44 बार बंद कर दिया गया, जिसमें मणिपुर में इनमें से 14 शटडाउन हुए। जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक, भारत में इंटरनेट बंद होने के 127 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 42.5% विरोध रोकथाम या प्रतिक्रिया से जुड़े थे। 2023 में, इन शटडाउन के कारण $255.2 मिलियन का नुकसान हुआ और 2,353 घंटे के डाउनटाइम में 43.2 मिलियन उपयोगकर्ता प्रभावित हुए।

- 6. UPI और ONDC जैसे सरकार समर्थित DPI बड़े खिलाड़ियों को लाभान्वित कर सकते हैं, फायदे की पेशकश कर सकते हैं और विवाद की जिम्मेदारी अस्वीकार कर सकते हैं। चिंताएं तब पैदा होती हैं जब एक ही इकाई खरीदार और विक्रेता दोनों पक्षों को संभालती है जिससे डेटा साझा करने की चिंताएं बढ़ जाती हैं जैसा कि अमेज़न के साथ देखा गया है।

सिफारिशें

- डेटा सुरक्षा अधिनियम पर सार्थक सार्वजनिक परामर्श: DPDPA, 2023 परामर्श प्रक्रिया के दौरान की गई कई सार्थक सिफारिशों को शामिल करने में विफल रहा है जिन्हें बाद में संबंधित हितधारकों द्वारा सार्वजनिक किया गया था। अपने वर्तमान स्वरूप में, DPDPA, 2023 गोपनीयता के अधिकार की पर्याप्त सुरक्षा नहीं करता है। संसद में अधिनियम पर सार्थक चर्चा और बहस होनी चाहिए, जिसमें एक उपयुक्त समिति को रेफ़र करना शामिल है, जो अपने विचार-विमर्श के दौरान सार्वजनिक सुझावों की तलाश कर सकती है ताकि अधिनियम को फिर से तैयार किया जा सके ताकि यह नागरिकों की गोपनीयता को निजी संस्थाओं के साथ-साथ राज्य उपकरणों से भी सुरक्षित रख सके।

- आईटी नियम संशोधन: केंद्र सरकार द्वारा इस तरह का विनियमन भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अत्यधिक उल्लंघन करता है और भारत में सेंसरशिप की संभावनाओं को बढ़ाकर प्रेस की स्वतंत्रता को जोरदार तरीके से खतरा देगा।

7. सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को शामिल करने का एक प्रस्ताव जो सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में केंद्र सरकार की भूमिका को नियंत्रित करता है।

8. विभागीय और क्षेत्रीय अस्पष्टताओं को दूर किया जाना चाहिए ताकि DoT और MeitY के बीच शक्तियों के ओवरलैप से बचा जा सके। ऑनलाइन संचार सेवाओं को आईटी अधिनियम, 2000 के तहत शासित किया जाना जारी रखना चाहिए।

- इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय: इंटरनेट पहुंच को एक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए न कि केवल एक सेवा के रूप में। संचार और आईटी पर स्थायी समिति की सिफारिशों जैसे कि शटडाउन के लिए कानूनी ढांचे की समीक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना, भारत में अक्सर शटडाउन से कमजोर आबादी की रक्षा के लिए तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक शटडाउन आदेश के लिए न्यायिक अनुमोदन की आवश्यकता होनी चाहिए। सरकार को NREGA और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच भी सुनिश्चित करनी चाहिए चाहे इंटरनेट उपलब्धता हो या न हो।

- DigiYatra जैसे ऐप्स के आसपास उचित सावधानी: यह आवश्यक है कि हवाई अड्डों पर बढ़ते पैदल चलने वालों और भीड़ के मुद्दों को DigiYatra जैसे एक समाधान के साथ ठीक करने के बजाय कई स्तरों पर निपटाया जाए। यह आवश्यक है कि गोपनीयता के मुद्दों की फिर से जांच की जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इसे जारी रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह योजना ऑप्ट-इन बनी रहे। किसी भी व्यक्ति को समस्या का सामना करते हुए तीव्र विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जाए और गैर-DigiYatra मोड तक पहुंच कार्यात्मक रहे।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत - वादा बनाम वास्तविकता

1. केंद्रीय सूचना आयोग वर्तमान में स्वीकृत 11 में से केवल 3 आयुक्तों के साथ कार्य कर रहा है। आयुक्तों की समय पर नियुक्ति नहीं होने से अपीलों और शिकायतों का एक बड़ा बैकअप हो रहा है जिसमें 21,000 से अधिक मामले लंबित हैं।

- 2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम 2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन करने के प्रावधान के साथ आगे बढ़ाया गया था जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल थे जिसमें वह प्रावधान भी शामिल था जो नागरिकों को संसद सदस्यों और विधायकों के समान सूचना का अधिकार देता था।

- 3. सरकार ने 2014 में पारित व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन (WBP) अधिनियम को लागू करने के लिए नौ साल से अधिक समय तक कोई कदम नहीं उठाया है जो व्हिसलब्लोअर्स की पहचान की सुरक्षा और उनके उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।

सिफारिशें

- 'नागरिकों के लिए समयबद्ध वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी और उनकी शिकायतों के निवारण का अधिकार विधेयक, 2011' (GR विधेयक) को फिर से पेश किया जाए, जिसे 2011 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया।
- 2014 में पारित व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम को लागू किया जाए।
- लोकायुक्त और लोकायुक्तों को परिचालन के दायरे और कार्यकाल और नियुक्ति के प्रकार के संबंध में स्वायत्तता प्रदान की जाए।
- RTI अधिनियम के नियम 22 पर पुनर्विचार किया जाए जो प्रभावी रूप से सरकार को विभिन्न सूचना आयुक्तों के लिए अलग-अलग कार्यकाल तय करने की अनुमति देता है।

- 2019 में संसद में पेश किए गए RTI अधिनियम में संशोधनों पर पुनर्विचार किया जाए जो केंद्र सरकार को देश के सभी आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन तय करने का अधिकार देता है।

भारत और मानवाधिकार: नारकीय इरादों से भरी नर्क की राह

1. NCRB के आंकड़ों के अनुसार, 2017 और 2021 के बीच, देश में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों के 2,900 से अधिक मामले सामने आए। मुसलमानों के घरों और व्यवसायों को दंडित करने के लिए ध्वस्त कर दिया गया, और 'बुलडोजर' शब्द मशीनरी से बदलकर अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत करने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार में बदल गया। एमनेस्टी की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में सार्वजनिक स्थानों और निजी घरों में नमाज़ अदा करने के लिए या तो मुसलमानों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए या प्रशासनिक दंड लगाए गए।

2. मनमानी गिरफ्तारियां और लंबी हिरासतें आम हो गई हैं। भारत की जेल आबादी के तीन-चौथाई से अधिक लोग प्री-ट्रायल हिरासत में थे जिसमें दलित, आदिवासी और अन्य वंचित समूहों के सदस्य असमान रूप से शामिल थे।

3. 2011 से 2021 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 87% की वृद्धि हुई है, जिसमें 2021 में अधिकांश मामलों में "पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता" और हमला शामिल है। 2022 में, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को 2014 के बाद से सबसे अधिक शिकायतें मिलीं। मणिपुर से परेशान करने वाले मामले ने जातीय संघर्ष के बीच महिलाओं की भेद्यता को रेखांकित किया फिर भी सरकार की प्रतिक्रिया अपर्याप्त रही।

4. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस बल का क्रूर इस्तेमाल एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। चाहे वह दिसंबर 2019 में Anti CAA विरोध हो या नवंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण विरोध हो। इन और कई अन्य उदाहरणों में, पुलिस ने अंधाधुंध रूप से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले दागे जिसमें 40 से अधिक किसान मारे गए और पुलिस की बर्बरता से अन्य घायल हो गए।

5. सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान उनकी आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को सेंसर करने के लिए पुलिस द्वारा औपनिवेशिक महामारी रोग अधिनियम का इस्तेमाल किया गया था। भारत में कई समाचार संगठनों के पत्रकारों को पुलिस स्टेशनों में समन भेजा गया था ताकि वे अपनी उन कहानियों को समझा सकें जो COVID 19 के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता को उजागर कर रही थीं।

6. जम्मू और कश्मीर (J&K) के विशेष दर्जे को निरस्त करना जो अनुच्छेद 370 के तहत गारंटीकृत था ने तुरंत राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया और उसके पहले और बाद में नागरिक स्वतंत्रताओं पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। सेना की बढ़ी तैनाती, संचार ब्लैकआउट और विभिन्न प्रशासनिक हिरासत कानूनों के तहत प्रमुख राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी जिसमें कठोर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) भी शामिल है।

सिफारिशें

- स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने वाले UAPA सहित आतंकवाद विरोधी कानूनों की समीक्षा और निरस्त करें।
- IPC की धारा 124A में राजद्रोह के अपराध को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक के रूप में निरस्त करें।
- सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यकों को अभद्र भाषा से बचाया जाए।
- सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के नाम पर लगाए गए प्रतिबंध आनुपातिक हों और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित न करें।

- यह सुनिश्चित करके लोकतंत्र की भावना की रक्षा करें कि बिना किसी भय के सरकार या बहुसंख्यक भीड़ द्वारा उत्पीड़न के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की गारंटी है।

- सुनिश्चित करें कि कानून प्रवर्तन प्राधिकरण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और नागरिक समाज संगठनों, मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्तियों को चुप कराने के लिए उन्हें निशाना न बनाएं।

- सुरक्षा बलों द्वारा उल्लंघनों के पीड़ितों के लिए एक प्रभावी निवारण तंत्र स्थापित करें जिन्हें स्वतंत्र जांच और नागरिक अदालतों में अभियोजन करने का काम सौंपा गया है।

- सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक लागू करें और एक वर्ष के भीतर निम्नलिखित अल्पसंख्यक विरोधी कानूनों की समीक्षा और निरस्त करें:

- CAA 2019;
- सभी "धर्मांतरण विरोधी" कानून जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करते हैं;

- विशेष नीतिगत आश्वासन प्रदान करें कि अखिल भारतीय NPR/NRC रसी लागू नहीं किया जाएगा;

- सुनिश्चित करें कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण भारतीय संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून मानकों का पालन करते हैं और नजरबंदी केंद्र बंद कर दिए जाएं।

- सुनिश्चित करें कि प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और चैनल उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखते हैं और अभद्र भाषा को नियंत्रित करें।

- सामाजिक क्षेत्र में अल्पसंख्यक संस्थानों को लक्षित करना बंद करें, खासकर वे जो स्कूल, चैरिटी या बच्चों के घर चलाते हैं।

- गैर-वापसी को रोकने और शरणार्थियों की कानूनी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शरण अधिनियम 2015 की तर्ज पर दो साल के भीतर एक राष्ट्रीय कानूनी ढांचा स्थापित करें।

- 2014 के व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम को अधीनस्थ कानून को अधिसूचित करके और मीडिया के माध्यम से व्हिसलब्लोइंग के लिए प्रावधान सम्मिलित करके लागू करें।
- मानवाधिकार आयोगों, सूचना आयोगों और सतर्कता आयोगों की देखरेख में RTI अधिनियम के तहत नागरिकों और पत्रकारों पर हमलों के मामलों की अनिवार्य पंजीकरण और जांच सुनिश्चित करें।

- FCRA को निरस्त करें या व्यापक रूप से संशोधित करें, जैसा कि स्वतंत्रता और विधानसभा पर विशेष रैपोर्टर के कानूनी विश्लेषण के अनुरूप है।

- संयुक्त राष्ट्र घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में पर्यावरण, स्वदेशी और दलित रक्षकों सहित मानवाधिकार रक्षकों को मान्यता देने और उनकी रक्षा करने वाला कानून बनाएं।

- सुनिश्चित करें कि मनमानी इंटरनेट पहुंच और उपयोग के माध्यम से विशेष रूप से इंटरनेट और सूचना तक पहुंचने का अधिकार बाधित नहीं है।

- मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करें और इन पदों के लिए विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड वाले नागरिक समाज के सदस्यों को नियुक्त करने पर विचार करें।

- मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों को पेरिस सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों पर पर्याप्त प्रशिक्षण और ओरियनटेशन प्रदान करें।

- तुरंत एक राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना लागू करें।

- ऐसे तंत्र स्थापित करें जो मृत्युदंड का सहारा लिए बिना नागरिक अदालतों में अपराधियों की स्वतंत्र जांच और अभियोजन के लिए काम करें और पीड़ितों के लिए उचित क्षतिपूर्ति, निवारण तथा उपचार प्रदान करें।

- यातना पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपोर्टर से यात्रा करने के लिए स्थायी अनुरोध को तुरंत स्वीकार करें।

- भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करें जिनकी उसने पुष्टि की है और सभी राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों में संशोधन करें जो दो साल के भीतर इन संधियों के पूर्ण अनुपालन में नहीं हैं।

- संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रियाओं की सिफारिशों को लागू करें और विशेष प्रक्रियाओं के साथ जुड़ाव की भावना के साथ, उन सभी को तुरंत आमंत्रित करें जिन्होंने यात्राओं का अनुरोध किया है।

एक मजबूत स्वैच्छिक क्षेत्र भारत को मजबूत करता है

1. भारत का स्वैच्छिक क्षेत्र जो अपनी जीवंतता, नवीनता और अनुसंधान-आधारित वकालत के लिए जाना जाता है राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जैसा कि COVID-19 महामारी के दौरान प्रमाणित हुआ है।

- 2. भारत में लगभग 80% एनजीओ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम करने पर अपने प्रयासों को केंद्रित करते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान करते हैं और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं सरकार अक्सर विकास क्षेत्र को विकास में बाधा के रूप में मानती है।
- 3. स्वैच्छिक संगठनों (VOs) और धर्मार्थ ट्रस्टों को भारत में बढ़ती नियामक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है जिससे कर छूट और कटौती प्राप्त करना बोझिल हो जाता है।
- 4. सितंबर 2020 में, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम में किए गए प्रमुख संशोधनों के महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिनमें उप-अनुदान पर प्रतिबंध, कठोर प्रशासनिक व्यय सीमा और एक विशिष्ट बैंक शाखा के माध्यम से विदेशी धन प्राप्त करने की आवश्यकता शामिल है जो एनजीओ पर अनुचित दबाव डालती है।
- 5. वित्त अधिनियम 2023 के तहत, इंटर-चैरिटी दानों पर प्रतिबंध है, केवल 85 प्रतिशत को ही दाता संगठन के लिए आय का आवेदन माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि ट्रस्ट A ट्रस्ट B को रु. 1,00,000 दान करता है, तो केवल रु. 85,000 ही ट्रस्ट A की पुस्तकों में 'धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए आय का आवेदन' के रूप में योग्य होगा।
- 6. अनुदान देने वाले संगठनों को अपनी पूरी आय खर्च करनी चाहिए ताकि भविष्य की परियोजनाओं के लिए भंडार को दूर न किया जा सके और अधिनियम कोष या उधार लिए गए धन के आवेदन पर सख्त नियम लागू करता है।
- 7. भारत सरकार के मित्र और भागीदार के रूप में स्वैच्छिक क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अधिक समान और सक्षमकारी नियामक कानूनों की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि क्षेत्र के भीतर बहुमत का उद्देश्य 'कल्याण' है।

सिफारिशें

- एनजीओ के लिए वार्षिक पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया जाए।
- एनजीओ पर लगाए गए प्रतिबंधात्मक उपायों जैसे कि उप-अनुदान, प्रशासनिक व्यय सीमा आदि को ढीला किया जाए या समाप्त किया जाए।
- राष्ट्र निर्माण में स्वयंसेवी संगठनों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी जाए।

Wada Na Todo Abhiyan (WNTA)

is a national campaign focused on promoting governance accountability to end poverty, social exclusion and discrimination through tracking government promises and commitments at the national and international levels.

WNTA emerged out of World Social Forum 2004 in Mumbai, after consensus among human rights activists and social action groups there for a need to create an action-oriented environment for focused and concerted efforts to try making a difference in India, where one-fourth of the world's poor live and experience intense deprivation from opportunities to learn, live and work with dignity.

Towards these efforts, one of WNTA's key works is this collaborative report that annually reviews the elected union government's performance within different sectors, issues, and communities to document an assessment against the electoral promises and Constitutional mandates.

To ensure that citizen aspirations and concerns are heard and addressed by political parties, WNTA also prepares a People's Manifesto ahead of elections.

Further, WNTA also reviews the implementation against the international commitment to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals and works for upholding the Leave No One Behind agenda in India.

Address: C-1/E, 2nd Floor, Green Park Ext, New Delhi, Delhi 110016
Email: info.wadanatodo@gmail.com, secretariat.wnta@gmail.com
Phone: +91 92056 02045

Editor: **Bijoy Basant Patro**
Contributing editors: **Annie Namala, Avinash Kumar, Roshni Nuggehalli**
Coordinated by: **Aditi Anand**
Supported by: **Adrian D'Cruz, Aradhna Joanna**
Design by: **Manoj Hodawadekar**
Cover Page by: **Aradhna Joanna**
Printed on: November 24, 2023